भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

निष्पादन प्रतिवेदन

2010-2011

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डेस्क से

मुझे भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का वर्ष 2010-11 का निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर हर्ष हो रहा है। भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था होने के कारण हम सार्वजनिक क्षेत्र के लेखांकन और लेखापरीक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उन्हें शुरू करने का प्रयास करते हैं। यह प्रतिवेदन सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों को बनाए रखने में जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को पूरा करने में हमें सक्षम बनाता है।

यह एक ऐतिहासिक वर्ष था क्योंकि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग ने इस वर्ष अपने अस्तित्व के 150 वर्ष पूरे किए। अन्य उल्लेखनीय मील-पत्थरों में राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी के 60 वर्ष पूरे होना तथा पच्चीसवां महालेखाकार सम्मेलन शामिल था।

अपना लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व निभाने के लिए हमने उच्च-कोटि का कार्य करने का प्रयास किया है। हमारी प्रक्रियाओं में निहित गुणवत्ता हमारे लेखापरीक्षा उत्पादों में प्रदर्शित होती है। हमारे लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा ₹ 4,446.61 करोड़ की वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा सिफारिशों के परिणामस्वरूप संघ तथा राज्य स्तर पर नीतियों, नियमों, कानूनों आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। संशोधन फॉर्मेट में प्रस्तुत वित्त लेखे हमारे पणधारियों द्वारा पूर्णतः स्वीकार किए गए हैं।

लेखापरीक्षा प्रणालियों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। हमने कई नई लेखापरीक्षाओं की पहल की है जिनमें पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर मार्गदर्शन शामिल है। हमने गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के भाग के रूप में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में पिअर रिव्यू की प्रणाली भी शुरू की है। हम अपने पणधारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व के बारे में सचेत हैं। जुलाई 2010 में राज्य विधान सभाओं के स्पीकरों तथा पीएसी और कोपू के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

इस प्रतिवेदन में दी गई उपलब्धियां आईएएण्डएडी के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के टीम-वर्क, व्यावसायिकता और समर्पण का परिणाम है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी दृढ़ता, समर्पण और अभिनव मानसिकता हमें और भी आगे ले जाएगी।

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

विषयसूची

अध्याय	विषयसूची	पृष्ठ
	निष्पादन की मुख्य बातें	i-ii
I	इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में	1-2
II	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में	3-16
III	महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ-लेखापरीक्षा	17-27
IV	महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ-लेखा एवं हकदारी	28-33
V	व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबन्धन	34-36
VI	हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते है	37-48
VII	संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम	49-52
VIII	प्रमुख पणधारियों के साथ हमारा सम्पर्क	53-56
IX	हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान	57-61
	संकेताक्षर	62-66
	अनुबंध I	67
	अनुबंध II	68-77

निष्पादन की मुख्य बातें

लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम	• हमने 68,602 इकाईयों की लेखापरीक्षा की जिनमें संघ तथा राज्य स्तर पर क्रमशः 96 प्रतिशत तथा 83 *प्रतिशत* नियोजित लेखापरीक्षाएं शामिल थी। • हमने 61,399 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए। • हमने संघ सरकार के 42 प्रतिवेदनों तथा राज्य सरकारों के 124 प्रतिवेदनों सहित 166 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। • इस वर्ष के दौरान 193 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुमोदित किए गए। हमने संघ तथा राज्य स्तर पर अपनी लेखापरीक्षा इकाईयों को 1,602 सिफारिशें की। इनमें से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 635 सिफारिशें *(40 प्रतिशत)* स्वीकार कर ली गई। • हमने संघ एवं राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य के 4,363 लेखे प्रमाणित किए। इनमें से, 78 *प्रतिशत* प्रमाण-पत्र समय पर जारी किए गए। • सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई 39 प्रतिशत वसूलियां (₹ 97,108 करोड़) स्वीकार कर ली। इनमें से, वास्तव में ₹ 4,446.61 करोड़ की वसूलियां की गई। वसूल की गई राशि साई इण्डिया द्वारा लेखापरीक्षा कार्य पर किए गए व्यय (₹ 1,410.26 करोड़) के तीन-गुणा से भी थोड़ी सी अधिक है। • हमारे अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों में से, संघ तथा राज्य सरकारों ने क्रमशः 30.24 प्रतिशत तथा 43.38 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार कर ली। • 31 मार्च 2011 को संघ तथा राज्य स्तर पर पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर हमें 22,188 कार्रवाई टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।
लेखा और हकदारी के मुख्य परिणाम	• पणधारियों द्वारा राज्यों के वित्त लेखाओं के फार्मेट में गुणात्मक सुधार प्राप्त कर लिए गए थे। • हमने 92.58 *प्रतिशत* पेंशन तथा संशोधन मामलों को अन्तिम रूप दिया। • हमने 96.39 *प्रतिशत* सामान्य भविष्य निधि लेखाधारकों को लेखा विवरण समय पर जारी किए।
व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबंधन	• भारत सरकार द्वारा एक भारत सरकार लेखाकरण मानदण्ड (आईजीएस) अनुमोदित किया गया था। भारत सरकार को छः आईजीएएस अधिसूचना के लिए प्रेषित किए गए थे तथा एक भारत

	सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड (आईजीएफआरएस) सरकारी लेखाकरण मानदण्ड सलाहकार बोर्ड (गसब) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। • पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर लेखाकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए गए थे। • महानिदेशक (निरीक्षण) ने आईएएण्डएडी के 73 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण रिपोर्टों में की गई 53.46 *प्रतिशत* सिफारिशें कार्यान्वित कर ली गई थी। • साई इण्डिया द्वारा 2009 मे पीअॅर् रिव्यू दिशानिर्देश बनाए गए थे। हमने 2010-11 में आईएएण्डएडी में 29 लेखापरीक्षा कार्यालयों का पीअॅर् रिव्यू किया।
संसाधन प्रबंधन	• ₹ 2,258.49 करोड़ के बजट आबंटन के प्रति हमने 2010-2011 में ₹ 2,247.92 करोड़ का खर्चा किया। यह मोटे तौर पर साई इण्डिया द्वारा किए गए मितव्ययिता के उपायों के कारण पिछले वर्ष (₹ 2,382.61 करोड़) से कम था। • क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफ पर मुख्य फ़ोकस जारी रहा। • आईएएण्डएडी में कार्यरत 44,392 लोगों में से, 93 *प्रतिशत* प्रत्यक्ष रूप से हमारे मुख्य कार्यकलापों में अपना योगदान देते हैं। • हमारे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों ने 12,232 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।
संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम	• अप्रैल 2010 में पच्चीसवें महालेखाकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय "आईएण्डएडी का अन्तरणः समेकन, विस्तार तथा नवीकरण" था। • वर्ष 2010 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संस्था ने अपने 150 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर जवाबदेही तथा शासन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। • प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी ने 2010 में अपनी हीरक जयंती मनाई।
पणधारियों के साथ बातचीत	• हमने राज्य विधान सभाओं के स्पीकरों तथा पीएसी और कोपू के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए जुलाई 2010 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।
अन्तर्राष्ट्रीय योगदान	• इंटोसाई तथा एसोसाई की भांति साई इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षण संगठनों में एक मत्वपूर्ण खिलाड़ी है। सीएजी इंटोसाई तथा एसोसाई गवर्निंग बोर्डों का सदस्य है। वह आईटी लेखापरीक्षा तथा उसकी ज्ञान विस्तारण समिति के इंटोसाई वर्किंग ग्रुप का अध्यक्ष है। • सीएजी बाह्य लेखापरीक्षकों के यूएन पेनल का सदस्य भी है तथा पांच यूएन संगठनों का बाह्य लेखापरीक्षक भी है।

अध्याय I

इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन प्रतिवेदन सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों (आईएसएसएआई) 20 तथा 21[1] की अपेक्षाओं के तहत बनाया गया है। आईएसएसएआई 20 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (साई) के लिए उनके अपने अभिशासन और प्रथाओं में एक उदाहरण पेश करते हुए नेतृत्व करने में उनकी सहायता करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धान्त सुझाता है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य निम्नलिखित पर रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है :

- साई इण्डिया ने अपने लेखापरीक्षा कार्य तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी कानूनी देयताओं को किस सीमा तक पूरा किया है ;
- हमारे अपने निष्पादन का मूल्यांकन और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव; तथा
- हमारे अपने कार्यों और गतिविधियों तथा साई संसाधनों के प्रयोग सहित लोक निधियों के उपयोग में नियमितता तथा दक्षता पर हमारी लेखापरीक्षा आपत्तियां।

यह प्रतिवेदन हमारी स्थिति, कार्य, नीति, गतिविधियों, वित्तीय प्रबंधन, प्रचालन और निष्पादन पर विश्वसनीय, स्पष्ट तथा संगत पब्लिक रिपोर्टिंग उपलब्ध करा कर पारदर्शिता प्राचलों को भी पूरा करता है।

आईएसएसएआई 20 एवं 21 की अपेक्षाओं का पालन करने के अतिरिक्त, यह प्रतिवेदन निम्नलिखित बातों का भी प्रयास करता हैः

- सीएजी तथा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की भूमिका एवं कार्यों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना;
- हमारे ग्राहकों और पणधारियों, आन्तरिक एवं बाह्य दोनों को प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना; तथा

[1] भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई), जो समूचे विश्व में सरकारी लेखापरीक्षा कार्यालयों (जिन्हें सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाएं कहा गया है) के लिए छत्र संगठन है, का सदस्य है।

- भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अन्दर और बाहर प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे संगठन के अन्दर परिवर्तन के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना।

अध्याय II

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में

हम कौन हैं?

भारतीय संविधान ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (जिसे अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के नाम से जाना जाता है) को राष्ट्र के लेखापरीक्षक के रूप में उत्तरदायित्व दिया है। भारतीय राज्यव्यवस्था में हम विधानमण्डल के लिए कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन हैं। लोकतन्त्र में, जिन लोगों के पास कोई शक्ति और जिम्मेदारी पद होते हैं उन्हें अपने कार्य के लिए जवाबदेह होना चाहिए। लोकतांत्रिक राज्य का नागरिकों के साथ एक "सामाजिक उत्तरदायित्व " होता है और वह जनता का प्रतिनिधि बनकर कार्य करता है। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रजातंत्र में कई सांस्थानिक तन्त्रों की व्यवस्था की जाती है जैसे न्यायपालिका, निगरानी करने वाली संस्थाएं और एक स्वतंत्र सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) और उसके अधीन कार्यरत भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (आईएएडी) से भारतीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था बनती है। राज्यों में सीएजी का प्रतिनिधित्व करने वाले साई के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

भारतीय शासन प्रणाली में संसद और राज्य विधानमण्डलों द्वारा निर्धारित नीतियों में सार्वजनिक खर्चों के माध्यम से पूरे किए जाने वाले लक्ष्यों को परिभाषित किया जाता है। इन नीतियों को सार्थक बनाने के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं और इन्हें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसके लिए, संसद बजट संस्वीकृत करती है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि सरकार करों के माध्यम से कैसे तथा कितना धन एकत्रित करेगी और किन उद्देश्यों के लिए इसे खर्च करेगी। इसके लिए वित्तीय नियमावलियाँ भी बनी हुई हैं और सरकारी विभागों तथा अन्य निकायों को लोक निधि प्राप्त करते तथा खर्च करते समय इनका अनुपालन करना चाहिए। ये नियम सार्वजनिक निधियों का प्रबन्ध करने में औचित्य, नियमितता और ईमानदारी के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए हैं। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य

विधानमण्डलों के प्रति जवाबदेह हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में सीएजी की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएजी केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

हमारी दूरदृष्टि

साई का दृष्टिक्षेत्र यह दर्शाता है कि हम कुछ बनने के लिए क्या अभिलाषा करते हैं हम सार्वभोम लीडर बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों की दीक्षक और स्वतंत्र, विश्वसनीय लोक वित्त और अभिशासन पर संतुलित और समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने के लिए प्रयास करते हैं।

हमारा उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे अभिशासन को उन्नत करते हैं और अपने पणधारियों, विधानमण्डल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतन्त्र आश्वासन मुहैया करते हैं कि लोक निधियों का दक्षता से अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

हमारे नैतिक मूल्य

हम जो कुछ करते है उसके लिए हमारे कोर मूल्य उन सभी के लिए दिशा आलोकित करते हैं और हमारे निष्पादन को निर्धारण करने के लिए हमें बेंचमार्क देते हैं। स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता, तथा सकारात्मक दृष्टिकोण।

हमारा उत्तरदायित्व

भारतीय संविधान सीएजी के अस्तित्व और उत्तरदायित्व का आधार है। अनुच्छेद 148 से 151 में सुनिश्चित किया गया है कि सीएजी और उसके अन्तर्गत कार्य करने वाला भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग अपना कार्य निष्पक्ष रूप से तथा ईमानदारी से करने में समर्थ

हैं। अनुच्छेद 148 सीएजी को कार्यपालिका की कार्रवाई से वही प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदान की गई है (जो उसे कार्यपालिका और विधानमण्डल से स्वतन्त्र बनाती है)। अनुच्छेद 149 और 150 उसके कर्त्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 151 यह निर्धारित करता है कि संघ और राज्यों से संबंधित उसके प्रतिवेदन राष्ट्रपति/राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें संबंधित विधानमण्डलों (लोक सभा अथवा विधान सभा) के समक्ष रखा जाता है।

हमारा संविधान निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से सीएजी को स्वतन्त्र और निष्पक्ष लेखापरीक्षा करने के लिए समर्थ बनाता है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति;
- हटाए जाने के लिए विशेष प्रक्रिया;
- वेतन एवं व्यय दत्तमत नहीं है; और
- कार्य अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में अपात्रता।

हमारा लेखा उत्तरदायित्व[2]

डीपीसी अधिनियम 1971 में सीएजी द्वारा लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, सीएजी लेखे तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों और विधानसभा वाले संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित यथोचित रूप से माँगी गई सूचना भी देता है और सहायता भी प्रदान करता है। कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते समय हम मात्र यान्त्रिक रूप से आय और व्यय का कुल जोड़ ही नहीं करते बल्कि वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। यदि धन अनुमोदन से अधिक निकाला जा रहा है अथवा व्यय की किसी मद के साथ उनके समर्थित बिल नहीं हैं तो हम शासन को सचेत करते हैं। हम व्यय के ढ़ंग की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं और निधियों से अधिक व्यय/वापस की गई राशि/व्यपगत राशि पर परामर्श देते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सुव्यवस्थित सुधार समय पर किए जाते हैं जो धोखाधड़ी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सर्किट ब्रेकर के रूप में कार्य करते हैं।

[2] डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 10, 11 एवं 12

हमारा लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व[3]

सीएजी के लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में परिभाषित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीएजी निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी हैः

- संघ एवं राज्य सरकारों की तिजोरियों (जिसे समेकित निधि कहा जाता है) में सभी प्राप्तियाँ और उनसे किया गया व्यय;
- आम बजट से बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है) ;
- केन्द्र और राज्य स्तरों पर सेवाओं एवं बाध्यताओं के बदले में न्यास जैसे लघु बचतों, जमाओं में सरकार द्वारा धारित जनता के सार्वजनिक धन का अन्तर्वाह और बहिर्वाह (जिसे लोक लेखा कहा जाता है) ;
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे; सभी सरकारी कम्पनियों जैसे ओएनजीसी, सेल आदि के लेखे;
- सभी सांविधिक निगमों और निकायों के लेखे जिनमें सीएजी द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रावधान है जैसे भारतीय खाद्य निगम;
- सरकारी धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों जैसे पंचायती राज संस्था, शहरी स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आईआईएम, आईआईटी, राज्य स्वास्थ्य समितियों के लेखे इत्यादि ;
- सीएजी अपनी अनिवार्य वचनबद्धताओं के अलावा विशेष लेखापरीक्षा के लिए भी सहमत हो सकता है। ऐसी लेखापरीक्षा सामान्यतः ऐसे निकायों के लेखाओं से संबंधित होती है जिसमें सार्वजनिक निधियों के पर्याप्त निवेश शामिल हैं और जिन्हें राष्ट्रपति/राज्यपाल के अनुरोध पर अथवा निजी पहल पर स्वीकार किया जाता है; और
- ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सीएजी बजट तैयार करने के लिए और स्थानीय निकायों के लेखे रखने के लिए फॉर्मेट निर्धारित करता है। सीएजी को कतिपय राज्यों में स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया है।

[3] सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

हम किसकी लेखापरीक्षा नहीं करते

सीएजी का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की लेखापरीक्षा तक विस्तृत नहीं है ; सरकारी निगम जिनकी संविधियों में सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है जैसे जीवन बीमा निगम और कम्पनियाँ जहाँ सरकारी हिस्सेदारी 50 *प्रतिशत* से कम है।

हमारी शक्तियाँ[4]

उपर्युक्त उल्लिखित कर्त्तव्यों को करने के लिए सीएजी के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अधीन किसी कार्यालय अथवा संगठन का निरीक्षण;
- किसी लेखापरीक्षित इकाई से किन्हीं अभिलेखों, कागज़ों, दस्तावेजों का मँगाना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और रीति का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देनों की जाँच और कार्यपालिका से प्रश्न करना; और
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों के वर्ग की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वह अवधारित करें।

शक्तियों का प्रत्यायोजनः सीएजी डीपीसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है। इस अपवाद को छोड़कर कि जब सीएजी छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित है तो कोई अधिकारी उसकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

विनियमों को बनाने के लिए शक्तियाँ: डीपीसी, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है।

2007 में, सीएजी ने डीपीसी अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत "लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली" जारी की जिसमें उसके लेखापरीक्षा और लेखांकन उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र, तरीके और सीमा को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है।

---

[4] सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18, 21, 22, 23 एवं 24

नियम बनाने की शक्तियाँ: संघ और राज्य सरकार के विभागों और कोषागारों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के संबंध में।

हम विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं

डीपीसी अधिनियम के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व में उन इकाईयों का उल्लेख किया गया है जो संघ और राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षा सीमा के अन्दर आते हैं। तथापि, इन इकाईयों की लेखापरीक्षा करने में सीएजी द्वारा अपनाए जाने वाला लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और सीमा, कार्यप्रणाली एवं पहुँच में सीएजी का ही विवेकाधिकार है। हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों में हम तीन प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा- अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के अनुपालन के लिए सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से सम्बन्धित संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की जाती है:

- भारत के संविधान के प्रावधान और लागू कानून; और
- या तो भारत के संविधान और विधि के प्रावधानों के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियम, विनियम, आदेश एवं अनुदेश अथवा उच्च प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार हों।

अनुपालन लेखापरीक्षा में वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावकारिता के लिए नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों की जाँच-पड़ताल भी शामिल है अर्थात ये क्या निम्नलिखित के अनुसार हैं :

- भारत के संविधान के प्रावधान और विधि (वैधानिकता) के अनुसार;

- अपशिष्ट, दुरूपयोग, कुप्रबन्धन, गलतियाँ, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं (पर्याप्तता) के विरूद्ध पर्याप्त रक्षा के साथ सरकारी प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के ऊपर पर्याप्त रूप से व्यापक और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना;

- अस्पष्टता से स्पष्ट रूप से मुक्त और निर्णय लेने (पारदर्शिता) में सत्यता के अनुपालन को बढ़ावा देना;

- विवेकयुक्त और चतुराई (औचित्य और विवेक); और

- प्रभावी और अभिप्रेत उद्देश्य और लक्ष्य (प्रभावकारिता) प्राप्त करना।

वित्तीय लेखापरीक्षा- वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों के सेट पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने के हेतु मूल रूप से सम्बन्धित है। इसमें शामिल है

- वित्तीय अभिलेखों की जाँच-पड़ताल और मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना;
- लागू संविधियों और विनियमों जो लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करते हैं, के अनुपालन के मूल्यांकन सहित वित्तीय प्रणालियों और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा; और
- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की लेखापरीक्षा जो परिसम्पत्तियों और संसाधनों की रक्षा में सहायता करते हैं और लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता का आश्वासन सुनिश्चित करते हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा- निष्पादन लेखापरीक्षा उस सीमा तक एक स्वतंत्र निर्धारण अथवा जाँच-पड़ताल है जिस तक संगठन, कार्यक्रम और योजना का प्रचालन मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी रूप से होता हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा निर्धारण करती है-

- मितव्ययिता - मितव्ययिता उपयुक्त गुणवत्ता वाले किसी कार्यकलाप के लिए प्रयुक्त संसाधन की लागत को न्यूनतम करना है। मितव्ययिता इनपुटों और प्रक्रियाओं की लागत पर फोकस प्रस्तुत करती हैं। मितव्ययिता वहाँ होती है जहाँ समतुल्य-गुणवत्ता संसाधन कम से कम लागत पर प्राप्त किए जाते हैं।

- दक्षता - दक्षता माल, सेवाओं अथवा अन्य परिणामों के अनुसार आउटपुट और उनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधनों के बीच सम्बन्धित है। दक्षता वहाँ विद्यमान है जहाँ वित्तीय, मानव, प्रत्यक्ष और सूचना संसाधन का उपयोग ऐसा है कि आउटपुट को संसाधन इनपुट के दिए गए सेट के लिए

अधिकतम किया जाता है अथवा इनपुट को आउटपुट की दी गई मात्रा और गुणवत्ता के लिए न्यूनतम किया जाता है।

- प्रभावकारिता - प्रभावकारिता उस सीमा तक है जिस तक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और कार्यकलाप के अभिप्रेत प्रभाव और वास्तविक प्रभाव के बीच सम्बन्धित है। प्रभावकारिता उस मुद्दे का उल्लेख करती है कि क्या योजना, कार्यक्रम अथवा संगठन ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए हैं।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

साई स्तर और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया इन चरणों को अपनाती है।

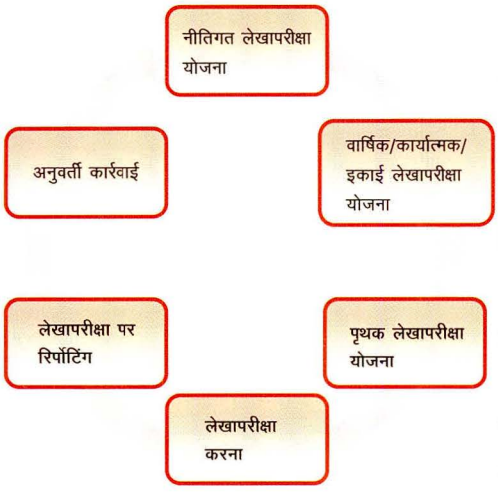

नीतिगत लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास उस नीतिगत निदेश के अनुसार किया जाता है जिसे सीएजी लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारण, मुद्दे का महत्व और उपलब्ध संसाधन के अनुसरण के लिए निर्णय लेता है। इन योजनाओं में वे लेखापरीक्षा शामिल हैं जिन्हें उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यप्रणालियों के अन्तर्गत किया जाना है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास समग्र नीतिगत लेखापरीक्षा योजना के आधार पर सीएजी के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान की जाने वाली योजनाबद्ध प्रत्येक लेखापरीक्षाओं का विस्तृत उल्लेख है। योजना लेखापरीक्षा अधिदेश, महत्व और जोखिम बोध द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवधिकता पर आधारित है। योजना को लेखापरीक्षा करने के लिए उपलब्ध संसाधन, मानव एवं वित्त दोनों द्वारा भी परिभाषित किया जाता है।

प्रत्येक पृथक लेखापरीक्षा के लिए हमारे पास उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली पर आधारित एक योजना है। हम नियोजित किए जाने वाले दल, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तारीखों का वर्णन करते हुए एक **विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम** बनाते हैं।

लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा तकनीकों का उपयोग कर निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर **लेखापरीक्षा करते हैं।**

लेखापरीक्षा के समापन पर **लेखापरीक्षित इकाई को एक रिपोर्ट जारी की जाती है।** उच्च मूल्य वाले निष्कर्ष जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है, आगे परिष्कृत किए जाते हैं और संघ और राज्य स्तर पर प्रकाशित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने के लिए पुनरीक्षित किए जाते हैं।

लेखापरीक्षित इकाइयों एवं मंत्रालयों से रिपोर्टों में **बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई** करने की आशा की जाती है। उनसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुद्रित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ भेजना अपेक्षित है। संघ और राज्य स्तरों पर सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सम्बन्धित लोक लेखा समिति (पीएसी) और लोक उपक्रम समिति (कोपू) की बैठकों में चर्चा की जाती है। विभागों से पीएसी/कोपू की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन की जाँच-पड़ताल की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं में सूचित किया जाता है। लेखापरीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नियोजित एक अन्य तंत्र है। लेखापरीक्षा समितियों में लेखापरीक्षित इकाई और आईएएडी से अधिकारी सम्मिलित होते हैं, जिनका गठन संघ और राज्य स्तर पर अनुवर्ती प्रक्रिया को मानीटर करने, अनुबोध अंतराल को कम करने और संचार के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है एवं इसके अतिरिक्त बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा एवं निपटान किया जाता है।

हमारा संगठन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विभाग में लगभग 44,000 कर्मचारी हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी कार्यालय आईएएडी का मुख्यालय है। इसकी सहायता के लिए पूरे देश में 141 क्षेत्रीय कार्यालय और विदेश में 5 कार्यालय स्थित हैं।

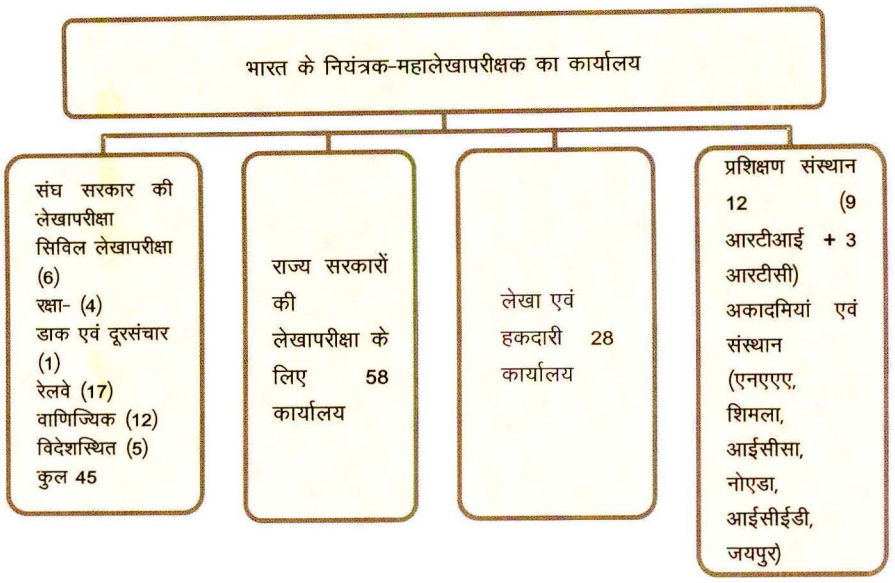

सीएजी कार्यालय

नई दिल्ली में स्थित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों का निर्देश, मॉनिटर और नियंत्रण करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, मिशन और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षा मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रक्रियाकरण और अनुमोदन करता है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए इसको कार्यात्मक आधार पर संगठित किया गया है और लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार संगठन और पद्धति, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक डॉटा प्रोसेसिंग (ईडीपी) इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिविजन हैं। इन डिविजनों के प्रमुख उप/अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं जो सीएजी को सीधे रिपोर्ट करते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक और निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं। सीएजी कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध । में दिया गया है।

आईएएडी में क्षेत्रीय कार्यालय

सीएजी कार्यालय के कार्यात्मक विंग की सहायता पूरे देश के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। ये कार्यालय वास्तव में सीएजी के लेखा एवं लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की चर्चा नीचे की गई है:

- **प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकर/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय** राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा, राज्य में सरकारी कम्पनियों, निगमों और स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त ये कार्यालय स्थानीय निकायों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के कार्य भी करते हैं। भारत में ऐसे 58 लेखापरीक्षा कार्यालय हैं।

- **लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक) कार्यालय (28) जिनके प्रमुख प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (ले. एवं हक) हैं** राज्य सरकार के लेखाओं के रख-रखाव और उनके कर्मचारियों के जीपीएफ एवं पेंशन को प्राधिकृत करने के कार्य में लगे हैं।

- **महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (28) कार्यालय** संघ सरकार के कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें सिविल मंत्रालय और विभाग, रक्षा, भारतीय रेल और डाक एवं दूरसंचार शामिल हैं।

श्रेणी	मुख्य	शाखा	आरएपी
लेखापरीक्षा कार्यालय-(संघ सरकार)			
सिविल	6	04	19
रक्षा	4	15	5
डाक एवं दूरसंचार	1	15	32
रेलवे	17	41	210
वाणिज्यिक	12	16	96
विदेश स्थित	5	-	-
उप-जोड़ (1)	45	91	362
लेखापरीक्षा कार्यालय-राज्य लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए	58	16	78
राज्य लेखा एंव हकदारी कार्यालय	28	10	-
प्रशिक्षण संस्थान	12 03	-	-
सकल जोड़	**146**	**117**	**440**

- **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय** जिनके प्रमुख वाशिंगटन, लंदन और क्वालालमपुर लेखापरीक्षा दूतावासों में और प्रत्येक क्षेत्र में अन्य सरकारी स्थापनाओं में और अन्य रोम और जिनेवा यूएन एजेन्सियों में प्रधान निदेशक हैं जिसके लिए साई इंडिया एक बाह्य लेखापरीक्षक है।

• **प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड (एमएबी) के कार्यालय (12)** केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज़) की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वे सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं को प्रमाणित करते हैं और सरकारी कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। वे पीएसयू में अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा भी करते हैं।

• तीन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं और नौ क्षेत्रीय **प्रशिक्षण संस्थाएं** तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र आईएएडी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और ज्ञान आदान-प्रदान आवश्यकताओं की देख-रेख करती हैं।
(कार्यालयों की विस्तृत सूची इस रिपोर्ट के अनुबंध II में है।)

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा से सम्बन्धित विषयों में सीएजी को सलाह देने और निष्पादन में सुधार के लिए सुझाव देने और सीएजी के संवैधानिक और संविधिक अधिदेश के ढांचे के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सीएजी की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। यह आईएएडी में नेतृत्व और निर्देशन को बढ़ाने के लिए नियोजित एक प्रमुख उपाय है और उससे लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार होता है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करते हैं। बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति और विभाग से डीएआई होते हैं। बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे।

प्रो. सी.एन.आर. राव,

नेशनल रिसर्च प्रोफेसर एण्ड आनरेरी प्रेसीडेंट,

जवाहर लाल नेहरू सेन्टर फार एडवान्स साइन्टिफिक रिसर्च

एयर चीफ मार्शल एस कृष्णास्वामी (सेवानिवृत्त)

पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम एंड बार

श्री दीपक पारेख

चेयरमेन, एचडीएफसी लिमिटेड

श्री एस रामादोराई

प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ

टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड

सुश्री रीमा नानावती

निदेशक, एसईडब्ल्यूए

सुश्री नैना लाल किदवई

एचएसबीसी लिमिटेड

डा. प्रोदीप्तो घोष,

विशिष्ट व्यक्ति

टीईआरआई एवं पूर्व सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

श्री धीरेन्द्र स्वरूप

पूर्व सचिव,

वित्त मंत्रालय

श्री पी.जे. थॉमस

सतर्कता आयुक्त

श्री अमरजीत चोपड़ा

अध्यक्ष, आईसीएआई

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की 2010-2011 में दो बैठकें हुई थीं एक 23 जुलाई 2010 को और दूसरी 17 जनवरी 2011 को। इन बैठकों में नियामक निकायों की लेखापरीक्षा, आईएएडी के 150 वर्ष के समारोह, 2020 की नीतिगत योजना, 2जी स्पेक्ट्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा, राष्ट्रमंडल खेल परियोजना, पर्यावरण लेखापरीक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी।

राज्यों में भी यही व्यवस्था विद्यमान है। राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है। नामित सदस्य प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों (इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सीए/आईसीडब्ल्यूए, अर्थशास्त्रियों, प्रोफेसरों, बैंकिंग, बीमा, कराधान, कानून के विशेषज्ञों, एनजीओज़, मीडिया के लोगों, आईटी विशेषज्ञों आदि) तथा सेवानिवृत सिविल सेवकों में से लिए जाते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड सभी राज्यों में बना दिए गए हैं।

अध्याय III

महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ-लेखापरीक्षा

सीएजी और उनके अन्तर्गत भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय और निष्पादन प्रबंधन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन उपलब्ध कराके जवाबदेही, पारदर्शिता तथा अच्छे अभिशासन को बढ़ावा देने के लिए बना है।

हमारे नवप्रवर्तन और पहल

केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर लेखापरीक्षाः जवाबदेही में वृद्धि

हमने केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर (केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर) से व्युत्पन्न राजस्व की लेखापरीक्षा की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की जिसमें निर्धारितियों के परिसरों में उनके अभिलेखों की जाँच-पड़ताल कर स्वतः निर्धारणों की लेखापरीक्षा मूल रूप से थी। हमने विभाग द्वारा किए गए उद्ग्रहण, राजस्व के निर्धारण और संग्रहण पर नियंत्रण करने के लिए लेखापरीक्षण पर फोकस करने हेतु अक्तूबर 2010 में एक बड़े परिवर्तन की पहल की और लेखापरीक्षा प्रयत्न के सत्तर *प्रतिशत* का बदलाव केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सेवाकर के प्रशासनिक विभागीय कार्यालयों के लेखापरीक्षण के लिए निर्णय लिया। सीबीईसी ने भी इस पहल का समर्थन किया जिसमें कर प्रशासक/समाहर्ता की जवाबदेही बढ़ाने की माँग की गई थी। हमने कई परस्पर बातचीतों, कार्यशालाओं, चर्चाओं के माध्यम से विभागीय कार्यविधियों का विस्तृत अध्ययन किया और विभागीय नियम पुस्तकों और अनुदेशों की समीक्षा की। दृष्टिकोण में इस परिवर्तन को उपरोलिखित दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से प्रायोगिक तौर पर लाया गया। प्रायोगिक अध्ययन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा ने विंग को यह आश्वासन दिया कि इस दृष्टिकोण से वर्तमान प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ था।

पृथक लेखापरीक्षा पैराग्राफों से विषयक आधारित लेखापरीक्षाओं की ओर अग्रसर होना

पृथक अनियमितताओं अर्थात् लेखापरीक्षा पैराग्राफों को इंगित करने के बजाय प्रणालीगत अनियमितता आधारित विषयक लेखापरीक्षाओं की ओर अग्रसर होने में विभाग में सभी लेखापरीक्षा विंगों का संयुक्त प्रयत्न है। इस परिवर्तन से प्रणालीगत मुद्दों पर फोकस और आंतरिक नियंत्रणों के जोखिमों का मूल्यांकन सम्भव होगा।

हमारी लेखापरीक्षा कवरेज-योजनाबद्ध लेखापरीक्षा बनाम की गई लेखापरीक्षा

हम अनिवार्य आवश्यकताओं मुद्दों, के महत्व, गोचर लेखापरीक्षा जोखिम और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा के विभिन्न प्रकारों की योजना बनाते हैं। 2010-11 के दौरान कुल 68,602 यूनिटों की लेखापरीक्षा की गई थी। समानान्तर ग्राफ दर्शाता है कि हमने संघ स्तर पर योजनाबद्ध लेखापरीक्षा का 96 *प्रतिशत* और राज्य स्तर पर योजनाबद्ध लेखापरीक्षा का 83 *प्रतिशत* किया।

आईएएडी में विभिन्न लेखापरीक्षा कार्यालयों ने भी कार्यालयों के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के अनुसार संस्वीकृतियों, वाउचरों और ठेकों की लेखापरीक्षा की। हमने लेखापरीक्षा करने हेतु 48 अनुरोध प्राप्त किए। हमने 23 अनुरोध/विशेष लेखापरीक्षा (संघ स्तर पर 8 लेखापरीक्षा और राज्य स्तर पर 15 लेखापरीक्षा) की।

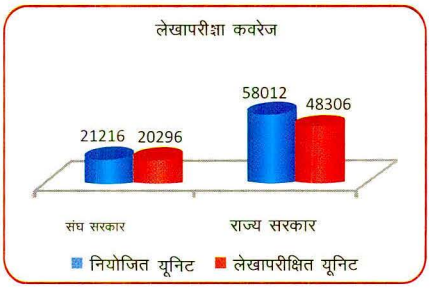

हमारे लेखापरीक्षा उत्पाद

निरीक्षण रिपोर्टें (आईआर), लेखापरीक्षा रिपोर्टें और लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के मुख्य आऊटपुट हैं। आईएएडी के लिए इन उत्पादों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

निरीक्षण रिपोर्टें

लेखापरीक्षा का प्रथम उत्पाद निरीक्षण रिपोर्ट है। हमने 2010-11 के दौरान 61,399 निरीक्षण रिपोर्टें जारी की।

	जारी निरीक्षण रिपोर्टें	सन्दर्भों की संख्या
संघ	17,863	402
राज्य	43,536	6,388

संघ स्तर पर 81 *प्रतिशत* (स्वायत्त निकाय) से 84 *प्रतिशत* (वाणिज्यिक) निरीक्षण रिपोर्टें समय पर जारी की गई। राज्य स्तर पर समय निष्पादन 75 *प्रतिशत* (सिविल लेखापरीक्षा) 91 *प्रतिशत* (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) के बीच था। एजी/डीएजी अथवा समतुल्य अधिकारी ने उच्चतर प्रशासनिक स्तरों को 6,790 संदर्भ किए थे जो लेखापरीक्षा निरीक्षणों के दौरान पाये गए आंतरिक नियंत्रण/अपव्यय/राजस्व निःसरण इत्यादि की कमजोरी पर आधारित थे और उन पर निरीक्षण रिपोर्टों में टिप्पणियाँ की गई थी।

लेखापरीक्षित संस्वीकृतियों, वाउचरों और ठेकों पर लेखापरीक्षा आपत्तियों का वित्तीय मूल्य निम्नलिखित था।

	लेखापरीक्षा आपत्तियों का वित्तीय मूल्य (₹ करोड़ में)
संस्वीकृति लेखापरीक्षा	3,097.32
वाउचर लेखापरीक्षा	6,78,093.17
संविदा लेखापरीक्षा	1,16,303.71
जोड़	7,97,494.20

लेखापरीक्षा रिपोर्टें

हमने 2010-11 के दौरान 166 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एकमात्र निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) जारी किए।

	रिपोर्टों की संख्या
संघ सरकार	42
राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र	124

निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

जबकि पूर्व पैराग्राफ 2010-11 में साई इंडिया द्वारा जारी सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है फिर भी यह पैराग्राफ निष्पादन लेखापरीक्षा आउटपुट और परिणाम अनन्य रूप से उल्लेख करता है। सीएजी ने 193 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (इसमें एकमात्र प्रतिवेदनों (33) लेखापरीक्षा पैराग्राफ (150) सारांश (10)) अनुमोदित की। हमने संघ एवं राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित इकाइयों को 1602 सिफारिशें की। इनमें से 635 सिफारिशें (40 *प्रतिशत*) लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। नीचे की तालिका संघ एवं राज्य स्तर पर ब्यौरों को दर्शाती हैं।

	निष्पादन लेखापरीक्षा	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ स्तर	28	289	102 (32 *प्रतिशत*)
राज्य स्तर	165	1313	533 (41 *प्रतिशत*)

प्रमाणन लेखापरीक्षा

हमने संघ एवं राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं एवं अन्य के 4,363 लेखाओं को प्रमाणित किया। 3,394 प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए गए थे।

	प्रमाणित लेखे	समय पर प्रमाणन
संघ सरकार	1343	913
राज्य सरकार	1472	1448
पीएसयूज़	1224	853
स्वायत्त निकाय	324	180
स्थानीय निकाय	शून्य	शून्य
जोड़	4363	3394 (78 *प्रतिशत*)

लेखापरीक्षित इकाई से लेखाओं की प्राप्ति में विलम्ब, लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रतिक्रियाओं की प्राप्ति में विलम्ब और स्टाफ की अनुपलब्धता लेखाओं के विलम्बित प्रमाणन के कुछ कारण थे।

हमारा लेखापरीक्षा प्रभाव

लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

	बतायी गई वसूलियाँ	स्वीकृत की गई वसूलियाँ	प्रभावी की गई वसूलियाँ
संघ सरकार	31,971.74	10,436.39	1,648.63
राज्य सरकार	65,651.51	27,748.53	2,797.98
जोड़	97,623.25	38,184.92	4,446.61

जबकि लेखापरीक्षित इकाइयों ने लेखापरीक्षा द्वारा बतायी गई वसूलियों (₹ 97623.25 करोड़) का लगभग 39 *प्रतिशत* स्वीकार किया फिर भी उन्होंने हमें वर्ष के दौरान मात्र लगभग 11.64 *प्रतिशत* की वास्तविक वसूली सूचित की थी। सरकार ने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप ₹ 4446.61 करोड़ की वसूली की। वसूल की गई राशि साई इंडिया द्वारा लेखापरीक्षा कार्य से थोड़ा अधिक थी।

कार्यकारी द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें

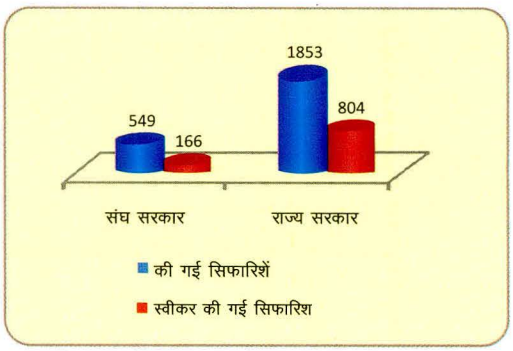

जबकि संघ स्तर पर लेखापरीक्षा इकाइयों ने की गई सिफारिशों का 30.24 *प्रतिशत* स्वीकार किया फिर भी राज्य स्तर पर स्वीकृति की प्रतिशतता लगभग 43.38 *प्रतिशत* से उच्चतर थी। स्वीकार की गई सिफारिशों का वित्तीय मूल्य ₹ 10014.25 करोड़, संघ स्तर पर ₹ 37.04 करोड़ और राज्य स्तर पर ₹ 9977.21 करोड़ था।

पीएसयूज़ के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव

सरकारी कम्पनियों और निगमों के वार्षिक लेखाओं के मामले में हम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। संघ स्तर पर कम्पनियों और निगमों की 3 चरण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप किये गए सुधार तालिका में दिए गए हैं।

	कम्पनियाँ	₹ करोड़ में
लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं की टिप्पणियाँ/वर्गीकरण गलतियाँ इत्यादि	73	**12,151**
क) लेखांकन नीति का प्रभाव	10	**323**
ख) लेखाओं की टिप्पणियों में संशोधन	42	**6,744**
ग) वर्गीकरण गलतियाँ	21	**5,084**
संव्यवहारों के प्रभाव पर की गई टिप्पणियाँ	135	**13,367**
क) लाभ	48	**1,002**
ख) हानि	10	**341**
ग) परिसम्पत्तियाँ	40	**6,320**
घ) देयताएँ	37	**5,704**

राज्य स्तर पर 20 कम्पनियों और 6 निगमों ने हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के परिणामस्वरूप अपनी लेखाओं में संशोधन किया। संशोधनों का वित्तीय प्रभाव निम्नलिखित था।

(₹ करोड़ में)

लाभ/हानि का अधिक बताना	592.44
लाभ/हानि का कम बताना	213.03
परिसम्पत्तियों/देयताओं का अधिक बताना	21.8
परिसम्पत्तियों/देयताओं का कम बताना	787.75

लेखापरीक्षा के कहने पर नीतियों, नियमों, विधि में परिवर्तन एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन

मौद्रिक प्रभाव के अलावा लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर नीति, विधि, नियमों में किए गए परिवर्तन और सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नवत हैं:

- **रक्षा**

भारतीय सेना में राशन की आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा (2010-11 की पीए सं. 6) की प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने अपनी सन्तुष्टि को बढ़ाने के लिए दस लाख सैनिको के राशन स्केल को संशोधित किया, राशन स्केल परामर्शी समित का गठन किया, सैनिकों को दिए गए राशन की बेहतर गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त खाद्य प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण प्रारम्भ किया और राशन के प्रावधान, कार्यविधि और नीतियों की वार्षिक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव दिया।

- **रेलवे**

भारतीय रेल में तत्काल और अग्रिम आरक्षण प्रणाली

तत्काल और अग्रिम आरक्षण प्रणाली के कार्य की लेखापरीक्षा से पता चला कि प्रामाणिक प्रयोक्ता जिनके लिए योजना अभिप्रेत थी सरलता से सुविधा तक पहुँच में असमर्थ थे क्योंकि इसमें हेर-फेर की गुंजाइश थी। लेखापरीक्षा की सिफारिशों को रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था और निम्नलिखित उपचारी कार्रवाई सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए की गई थी:

- आरक्षण के खोलने के प्रारम्भिक घण्टों (08.00 से 09.00 बजे) के दौरान विशेष रूप से आरक्षणों पर निगरानी रखने के लिए एमआईएस रिपोर्ट का उपयोग करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे को अनुदेश जारी किए गए थे।
- यात्रियों के पास आरक्षित तत्काल टिकट पर यात्रा करते समय वैध आईडी होनी चाहिए।
- तत्काल टिकट पर प्रति पीएनआर अधिकतम चार यात्रियों तक की बुकिंग को सीमित किया गया है।

- डुप्लीकेट टिकट सुविधा के दुरूपयोग का परिहार करने के लिए निम्नलिखित आशोधन किए गए हैं:
    - तत्काल योजना की अग्रिम आरक्षण अवधि को दो दिन से कम करके एक दिन कर दिया गया था।
    - डुप्लीकेट तत्काल टिकट सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत जारी नहीं करना था। अपवादात्मक मामले में डुप्लीकेट टिकट तत्काल प्रभारों सहित पूरे किराए के भुगतान पर जारी किया जाएगा।
    - प्राधिकृत एजेंटों को 08.00 बजे और 10.00 बजे के मध्य इन्टरनेट के साथ साथ पीआरएस काउन्टरों दोनों के माध्यम से तत्काल बुकिंग कराने की मनाही है।
- वापसी/बहिर्यात्रा के मामले को छोड़कर एक यात्री से मात्र एक माँग-पत्रक के स्वीकरण की प्रथा का अनुसरण करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे को अनुदेश जारी किए गए हैं।
- ई-टिकटों की बुकिंग प्रणाली को आशोधित किया गया और अब सभी प्रमुख एजेंटों को अपने कार्यों की बेहतर निगरानी करने के लिए अपने प्रत्येक एक मात्र आईडी वाले उप-एजेंटों का आईआरसीटीसी के पास पंजीकरण करना अपेक्षित है।
- प्रारम्भिक घण्टों में लॉगइन विलम्ब के दृष्टान्तों का परिहार करने के लिए इन्टरनेट सरवर बेण्ड़विड्थ को 354 एमबीपीएस से बढ़ाकर 450 एमबीपीएस कर दिया गया था और डॉटाबेस सरवर को उन्नत किया गया था तथा फास्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सरवर को नियोजित किया गया था।

कन्टेनर प्रचालन

कॉनकोर के गठित करने और अन्य कन्टेनर प्रचालकों के प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य छोटे यातायात को अधिकार में लेना था जिसे रेल प्रशासन ने रेक भार संचालन की अपनी नीति के कारण खो दिया था। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया था कि कर्षण दरों पर भारतीय रेलवे द्वारा पारम्परिक रूप से ढोए गए बल्क पण्यों को ले जाने के लिए कॉनकोर सहित कन्टेनर प्रचालकों को अनुमत करने से राजस्व में भारी हानि और नियमित रेल यातायात के विपथन की सम्भावना के लिए रेलवे को जोखिम में डाल दिया था।

रेलवे बोर्ड ने आईआर दरों में से कन्टेनर प्रचालकों के लिए *प्रतिशत* भत्ते को घटाने के पश्चात् समतुल्य नौ उपयोगी वस्तुओं (प्रबल रूप से आईआर द्वारा ढोए गए) के लिए पृथक दरों को अनुबद्ध करते हुए लेखापरीक्षा के कहने पर (01.02.2010 से 2010 की आरसी सं. 30) माल टैरिफ को संशोधित किया।

- वाणिज्यिक

एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेडः पट्टा सुधारों पर मूल्यह्रास के प्रभारित करने के संबंध में 06-12-2010 से 2010-11 के दौरान महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 4.2.3 में परिवर्तन किए गए हैं। नीति में बताया गया कि पट्टा सुधारों पर किए गए व्यय को लेखाकरण मानक 10 के अनुसार राजस्व लेखा को प्रभारित किया गया। 2010-11 के दौरान, पट्टा सुधार पर किए गए ₹ 1772 हजार के व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1772 हजार तक वर्ष के लिए निवल लाभ में कमी हुई और स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य में तद्नुरूपी कमी हुई।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी): लेखापरीक्षा के कहने पर एनटीपीसी ने 1 अप्रैल, 2009 से सीईआरसी टैरिफ विनियमावली 2009-14 में निर्धारित दर के अनुसार सृजित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए अपनी लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया। पहले मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में इंगित दर पर प्रभारित किया जाना था।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल): अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए लेखाकरण पद्धति में 01-04-2010 से लेखापरीक्षा के कहने पर परिवर्तन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 124.61 करोड़ तक लाभ में कमी हुई।

दामोदर वेली कारपोरेशन (डीवीसी): कम्पनी ने 2010-11 के दौरान मालसूचियों के मूल्यांकन के संबंध में लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया। पहले, कोयला और तेल की मालसूचियों का मूल्यांकन ओएण्डएम, इंधन परिसम्पत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास एवं ब्याज के आनुपातिक शेयर सहित भारित औसत लागत आधार पर किया गया था। तथापि, ब्याज घटक को 2010-11 से कोयला एवं तेल की मालसूचियों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए वर्जित किया गया था।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ): कम्पनी ने पुराने संदिग्ध ऋणों और उधार एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान करने के लिए लेखाकरण नीति बनाई। इसका अनुमोदन दिनांक 6 मई, 2010 को निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक में किया गया। नीति

के अनुसार ऋणों, प्राप्यों, उधार एवं अग्रिमों को एक मामले से दूसरे मामले के आधार पर समीक्षा के पश्चात् मुहैया कराया गया।

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी): समुद्रतट कुँओं के लिए परित्याग देयता दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के परिपत्र और दिनांक 28 अप्रैल, 2010 के स्पष्टीकरण द्वारा मुहैया कराई जानी अपेक्षित थी। तथापि, यह देखा गया था कि कथित परिपत्र में सूचित किए गए अनुमानों में इनसाइट पुनः स्थापना प्रभारों को नहीं दर्शाया गया था यद्यपि रिग लागत लॉगिंग, सीमेन्टिंग और ऐसी अन्य लागतों जैसे अन्य लागत घटकों को दर्शाया गया था। इसे पूर्व वर्ष के लेखाओं पर उप निदेश के रूप में जारी किया गया था। परित्याग देयता का स्थल पुनः स्थापना के लिए अनुमानों के समावेशन सहित चालू वर्ष के दौरान पुनः अद्यतन किया गया था और दिनांक 7 जनवरी, 2011 के परिपत्र द्वारा सूचित किया गया।

- **स्वायत्त निकाय**

  - **पूर्वोत्तर इन्दिरा गाँधी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस)** ने लेखाकरण मानक 12 में यथाअपेक्षित वित्तीय विवरणों में सरकारी अनुदानों के प्रस्तुतीकरण की विधि को प्रकट करने के संबंध में 08.09.2010 से अपनी लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया।

  - **राजीव गाँधी भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आरजीआईआईएम)** ने 20.09.2010 से संस्थान द्वारा अपनाई गई मूल्यह्रास की दरों के आधार पर लेखाओं के प्रकट करने के संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन किया।

  - **मुम्बई पत्तम न्यास (एमबीपीटी)** ने 1:1 के अनुपात में पत्तन स्वास्थ्य संगठन पर केन्द्रीय सरकारी व्यय के साथ शेयर करने का उपयोग किया। तथापि, यह देखा गया था कि अन्य पत्तन केन्द्र सरकार के साथ अपनी सम्बन्धित पत्तन स्वास्थ्य संगठन की लागत को शेयर नहीं कर रहे थे। इसे बताए जाने पर, एमबीपीटी ने नीति की समीक्षा की और दिनांक 31.03.2010 को न्यासी संकल्प स. 198 पारित किया और वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए निरन्तर प्रबन्ध करने का निर्णय लिया।

- **राज्य प्राप्तियाँ**

  वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित राज्य सरकारों ने राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर नीतियों, नियमों, विधि आदि में परिवर्तन किए:

- **आन्ध्र प्रदेशः** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2001-02 से 2007-08 में दर्शाए गए पैराओं की प्रतिक्रिया में सितम्बर 2010 में जारी जीओएम के द्वारा निपटान विलेख, निर्मुक्त विलेख, पट्टा एवं रेहनदार और स्वत्व विलेख के जमा के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन किए गए थे।"उत्पादशुल्क विभाग के कार्यचालन" पर प्रस्तावित अकेले प्रतिवेदन की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश जारी किए गए और नोकरनामा फीस बढ़ाई गई। शराब कारखानों में अतिरिक्त घंटो के कार्य करने के लिए निर्धारित अतिरिक्त लाइसेंस फीस और क्लब प्रिवलेज फीस को भी बढ़ाया गया।

- **केरलः** सरकार ने एफएल के मामले में अधिकतम 5 प्रतिशत विदेशी शराब के आयात, पारगमन अथवा भण्डारण में हानि और बार के मामले में 0.025 की हानि एवं अनुज्ञेय अपव्यय की अधिकता में कम पाई गई शराब के लिए गैलनेज फीस लगाने की अनुमति के लिए विदेशी लिकर नियमावली में संशोधन किया।

- **मध्य प्रदेशः** 2009-10 में की गई लेखापरीक्षा के कहने पर ग्वालियर कलक्ट्रेट में 63 गाँवों के समावेशन के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-2012 में ₹ 29 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई।

- **मेघालयः** लागत कीमत की परिभाषा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 2009-10 में लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुसरण करने के लिए मेघालय उत्पादशुल्क नियमावली में शामिल किया गया था।

- **गुजरातः** धरातल किराए की गुजरात राज्य दरों को लेखापरीक्षा के कहने पर समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित गैर-कृषि निर्धारण भूमि दरों के लिए संशोधित किया गया था।

कार्रवाई की गई टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली 2007 में अनुबद्ध किया गया है कि सरकार के संबंधित विभाग के सचिव अपने/अपनी विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (फों) पर स्वयं व्याख्यात्मक की गई कार्रवाई टिप्पणी (याँ) की तैयारी कराएगें जिसे पीएसी/कोपू को प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई है,की गई कार्रवाई टिप्पणी बताती है कि क्या

- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में तथ्य एवं आँकड़े स्वीकार्य हैं;

- परिस्थितियाँ जिसके अन्तर्गत लेखापरीक्षा पैराग्राफ में बताई गई अनियमितता हुईं;
- उत्तरदायित्व नियत करने के लिए की गई कार्रवाई और कार्रवाई पूरी करने के लिए सम्भाव्य समयसीमा;
- वसूली की वर्तमान परिस्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई; और
- भविष्य में हुए समान मामलों का परिहार करने के लिए की गई अथवा प्रस्तावित उपचारी कार्रवाई।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2011 को की गई कार्रवाई टिप्पणियों की स्थिति को दर्शाती है:

	31 मार्च 2011 की समाप्ति पर प्रतीक्षित एटीएन	वर्ष के दौरान निपटान किए गए एटीएन
संघ स्तर	1,058	2,590
राज्य स्तर	21,130	1,255

अध्याय IV

महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ-लेखा एवं हकदारी

लेखा स्कंध राज्य सरकारों के लेखाओं के रखरखाव, सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के रख-रखाव और राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने के लिए उत्तरदायी है। 2010-11 के दौरान इस स्कंध के महत्वपूर्ण फ़ोकस क्षेत्र और उनकी उपलब्धियों की चर्चा नीचे की गई है:

नवप्रवर्तन और पहल

राज्यों के वित्त लेखाओं का संशोधित फार्मेट

लेखाकरण की मान्यता मात्र बजटीय और व्यय नियंत्रण के तन्त्र के रूप में ही नहीं है बल्कि वित्तीय प्रबन्धन (ऋण) और वित्तीय नीति (कर व्यय, आर्थिक सहायता) के माध्यम के रूप में अधिक है जिससे यह आवश्यक हो गया कि हम लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग की आर्थिक संबद्धता का पुनः निरीक्षण करें। सरकार के वित्तीय और प्रचालन निष्पादन के मूल्यांकन के औज़ार के रूप में माने जाने वाले लेखाकरण के लिए सभी लेन-देन को दर्ज करने की एक सम्पूर्ण प्रणाली होनी चाहिए, सरकार के फ्लो एवं स्टॉक को सरकार की वित्तीय स्थिति की "सही एवं उचित" अथवा "उचित रूप से सही" अथवा "उचित रूप से शुद्ध" तस्वीर दर्शानी चाहिए और परिणामों के लेखाकरण के लिए प्रावधान करना चाहिए।

इसे प्राप्त करने के लिए, लेखाकरण प्रणाली के दो पहलुओं का पुनः निरीक्षण किया जा रहा है:

- नियम आधारित से सिद्धान्त आधारित लेखाकरण में परिर्वतन जो लेखाकरण मानकों के लिए आवश्यक होता है, और
- लेखाकरण की नकद से संग्रहण आधारित प्रणाली में परिर्वतन जो दोहरी प्रविष्टि बुक कीपिंग में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है।

हमने गुणात्मक सुधारों को लाने के लिए सफलतापूर्वक मुख्य परिर्वतन प्रारम्भ किए। संशोधित फोर्मेटों में प्रस्तुत किए गए 2009-10 के वित्त लेखे पणधारियों द्वारा भली-भांति प्राप्त कर लिए गए हैं। इन दस्तावेजों को www.saiindia.gov.in पर देखा जा सकता है।

वित्त लेखाओं में समाविष्ट सूचना की गुणवत्ता में सुधार करना

लेखा स्कंध में वर्ष 2009-10 के लिए सभी राज्यों के वित्तीय लेखाओं की समीक्षा की गई तथा 2010-11 के वित्त लेखे तैयार करने हेतु संबंधित महालेखाकारों (ले.एवं हक.) को पायी गई कमियों/आगे के लिए अपेक्षित सुधार से अवगत कराया गया।

हमने निरंतर गुणवत्तापरक सुधार के भाग के रूप में जांच करने का निर्णय लिया।

- प्रकटीकरण की अपेक्षा हेतु राज्य एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन) अधिनियम तथा प्राप्य और देय राशियों के संबंध में बजट दस्तावेज़ में किए गए खुलासे ताकि समुचित सत्यापन के पश्चात् ही उन्हें लेखा-टिप्पणियों में शामिल किया जा सके।
- प्राप्यों (कर तथा गैर-कर राजस्व बकाया), बजट से बाहर की देयताएँ, चुकाए न गए बिलो के कारण देयता, सरकारी खातों से परे संचालित निधियाँ, बैंक खातों में रखा धन, पीआरआईज़ को अनुदानों के बकाया आदि भी सभी राज्यों द्वारा लेखा टिप्पणियों में शामिल किए गए।
- वेतन के प्रति उल्लेखित व्यय, गारंटियों के विवरण, विषय शीर्ष-वार व्यय अथवा अन्य कोई व्यय विवरण यदि बजट दस्तावेजों में शामिल हों तो उन्हें भी लेखाओं में बुक किए गए व्यय के प्रति वैधीकृत किया जाना था।

संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएँ

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय में 17-18 फरवरी 2011 को उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (स्थानीय निकाय एवं लेखा) की अध्यक्षता में सभी राज्यों के महालेखाकारों (लेखा एवं हक.) तथा महालेखाकारों (स्थानीय निकाय) की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में लेखों के माध्यम से शासन और उत्तरदायित्व से संबंधित मुद्दों को कवर किया गया था।

हमारे लेखा निष्पादन

लेखा तथा हकदारी कार्यालयों का मुख्य कार्य मासिक सिविल लेखे राज्य सरकार को समय से प्रस्तुत करना और वित्तीय एवं विनियोग लेखे तैयार करना है। विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों जिनमें एक नजर में लेखे, व्यय की रिपोर्ट, डीडीओ वार व्यय आँकडें, चेतावनी पर्चियां, अनुदान वार अधिक व्यय सम्मिलित है, को भी राज्य सरकार को भेजा जाता है।

सामयिकता

आईएएडी के 28 लेखा कार्यालयों को राज्य सरकारों को मासिक लेखे प्रस्तुत करने थे। जबकि 16 लेखा कार्यालयों ने अपने मासिक लेखे समय पर प्रस्तुत किए थे, मासिक लेखाओं को 12 लेखा कार्यालयों द्वारा देरी से प्रस्तुत किया गया था। विलम्ब मुख्यतः कोषागारों से लेखाओं की देरी से प्राप्ति के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के लेखा कार्यालयों में ही हुए थे। कोषागारों में स्टाफ की कमी, कम्प्यूटरों में तकनीकी समस्याएं और मार्च लेखाओं का देरी से बन्द होना विलम्ब के कुछ अन्य कारण थे।

सम्पूर्णता

प्रस्तुत किए गए 71.43 प्रतिशत मासिक लेखे सभी प्रकार से पूर्ण थे। 28 लेखा कार्यालयों में से 20 ने राज्य सरकारों को पूर्ण मासिक लेखे प्रस्तुत किए। आठ लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए मासिक लेखे अधूरे थे क्योंकि कोषागारों को लेखे प्रस्तुत करने से अपवर्जित किया गया था। कोषागारों को लेखाओं की अपूर्णता और/या देरी से प्राप्ति के लिए लेखाओं से अपवर्जित किया जाता है।

खजाना निरीक्षण

खजाना निरीक्षण राज्य सरकार को सहायता देने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खजाना प्रणाली निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रही है।

94.76 प्रतिशत नियोजित खज़ाना निरीक्षण लेखा कार्यालयों द्वारा किए गए थे। 53.76 प्रतिशत सिफारिशें खजानों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।

नियोजित खजाना निरीक्षणों की संख्या	किए गए खजाना निरीक्षणों की संख्या	जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टें	की गई सिफारिशें	स्वीकार की गई सिफारिशें
1797	1703	1709	186	100

लेखाओं के अनुरक्षण को सुधारने के लिए की गई/राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें

लेखाओं के अनुरक्षण को सुधारने के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीः

- योजना से जुड़े बजट दस्तावेज़ तैयार करना
- राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन साझा व्यवस्था का प्रदर्शन
- अप्राधिकृत और निष्क्रिय व्यक्तिगत खाता बही आदि का समापन।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार ने देखा कि अनुदेयी निकाय/संस्थान उनको सीधे उपयोगिता प्रमाणपत्र भेज रहे हैं। महालेखाकार द्वारा सभी गारंटी निकायों/संस्थाओं को यह बताते हुए पत्र जारी किया गया कि उपयोगिता प्रमाणपत्र मंजूरी विभाग के माध्यम से आने चाहिए। वर्तमान में कुछ विभाग सही प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हैं।

हमारे हकदारी निष्पादन

निपटाए गए पेंशन मामले

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा 6,65,129 में से 6,15,749 पेंशन और संशोधन के मामलों को निपटाया गया। एक मामले के निपटान हेतु लिया गया औसत समय 15 दिन (मध्य प्रदेश-I) से 161 दिन (महाराष्ट्र-I) के बीच रहा। जहां 15 कार्यालयों में पेंशन के मामलों की प्रोसेसिंग में कोई विलम्ब नहीं हुआ, शेष कार्यालयों में औसतन 7 दिन से 151 दिन का विलम्ब हुआ। छठें वेतन आयोग के कारण पेंशन के संशोधन, अधूरी सूचना, स्टाफ की कमी, पेंशन के मामलों की प्रोसेसिंग में विलम्ब के कुछ कारण थे।

सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का अनुरक्षण

राज्य सरकार कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं (जीपीएफ) के अनुरक्षण के लिए भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में लेखा एवं हकदारी कार्यालय उत्तरदायी हैं। वर्ष 2010-2011 के दौरान 24 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा 42,15,588 जीपीएफ लेखाओं का अनुरक्षण किया गया जिसमें 40,63,410 अर्थात् 96.39 प्रतिशत लेखा पर्चियां समय पर जारी की गईं।

उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय/पहल किए गए नए कार्य

अनुरक्षित जीपीएफ लेखाओं की संख्या	समय पर जारी की गई लेखा पर्चियों की संख्या
42,15,588	**40,63,410**

त्रिपुराः एक सुविधा केन्द्र बनाया गया है जो पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। पेंशनभोगियों को बेहतर सेवायें प्रदान करने के लिए पेंशन-साई (सिस्टम ऑटोमोटिव इंफार्मेशन) परियोजना लागू की जा रही है। वर्ष 2009-10 के लिए सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी विभागाध्यक्षों को सीडीज़ दर्शाने वाले गुम क्रेडिटस भेजे गए। जीपीएफ अंशदाताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आईवीआरएस प्रणाली लाई गई। 27 जनवरी 2011 को जीपीएफ अंशदाताओं के लिए एसएमएस अलर्ट प्रणाली लाई गई।

हरियाणा: अपने जीपीएफ खातों के साथ-साथ अंतिम भुगतान मामलों को कार्यालय वेबसाइट पर जानने के लिए जीपीएफ अंशदाताओं को पिन जारी किया गया है।

मेघालयः कार्यालय सभी पेंशन मंजूरी प्राधिकारियों को पूर्ण रूप से पेंशन दस्तावेज़ों की तैयारी और समय पर प्रस्तुतीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार कर चुकी है और उन्हें परिचालित कर चुकी है। जून, जुलाई और अगस्त 2011 के महीनों के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले में पेंशन अदालतें लगाई गई।

उत्तराखंडः कार्यालय ने अधिकारिक वेबसाईट पर सभी अंशदाताओं (97,952) के लिए जीपीएफ आनलाईन सेवा आरम्भ की। कार्यालय द्वारा मोबाइल पर प्रत्येक माह जीपीएफ आरम्भिक अधिशेष, अंशदान आहरण, ब्याज तथा अन्त शेष जैसी सूचनाएं प्रदान करने के लिए एसएमएस सेवा भी शुरू की गई और अनुरोध पर कार्यालय द्वारा एसएमएस भेजने तथा प्राप्त करने की सुविधा प्रारम्भ की गई। कार्यालय ने जीपीएफ अदायगी मामलों को हाथ से तैयार किए जाने के स्थान पर कम्प्यूटराइज्ड गणना प्रतिस्थापित की। अपनी शिकायतें दर्ज कराने और वेबसाइट पर उसकी स्थिति जानने के लिए उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली प्रारम्भ की गई।

महाराष्ट्रः पेंशन भोगियों की शिकायत निवारण के लिए पेंशन शिकायत सेल का गठन किया गया। छठे वेतन आयोग के कारण भारी मात्रा में सम्भावित प्राप्तियों के निवारण के लिए पेंशन संशोधन सेल का गठन किया गया। आगंतुक जीपीएफ अंशदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सुविधा काउन्टर कार्य कर रहा है। अमरावती और औरंगाबाद क्षेत्र के डीडीओज़ को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।

हिमाचल प्रदेशः जीपीएफ खाता धारकों और पेंशन मामलों की सूचना देने के लिए आईवीआरएस और वेबसाइट शुरू की गई है। वे अपनी शिकायतें महालेखाकार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेज सकते हैं। जिला मुख्यालय ऊना में जीपीएफ और पेंशन से संबंधित मामलों के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें संबंधित ग्रुप अधिकारियों ने भाग लिया। सेवानिवृत्तों से कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता की प्रतिपुष्टि की प्रथा भी शुरू की है। प्रतिपुष्टि सर्वत्र बहुत सकारात्मक रही है।

अध्याय V

व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबन्धन

सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की अगस्त 2002 में स्थापना की गई। सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) का उद्देश्य सरकारी लेखा एवं वित्तीय प्रतिवेदन के मानकों में सुधार हेतु लेखा मानकों का निरूपण एवं सिफारिश करना है ताकि निर्णय लेने और सार्वजनिक जवाबदेही की गुणवत्ता में सुधार हो। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गसब को निम्न उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं:

- भारतीय सरकारी लेखा मानक विनिर्मित करना (आईजीएएसज़)
- भारतीय सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन मानक (आईजीएफआरएसज़) विनिर्मित करना
- इन मानकों की स्वीकृति को बढाना
- अपने उद्देश्य के अनुरूप अन्य दस्तावेजों के छापने मे वित्तीय प्रतिवेदन में मुद्दों और अनुभवों पर मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराना

संविधान के प्रावधानों के अनुसार गसब द्वारा विनिर्मित मानकों की सिफारिश भारत सरकार को अधिसूचना के लिए की जाती है।

दोनों 12वें और 13वें वित्त आयोग ने सरकार में प्रोदभूत लेखाकरण की सिफारिश की और संघ तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा 2005 में प्रोदभूत लेखाकरण में परिवर्तन के लिए परिचालनात्मक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए गसब को अधिदेश दिया। वर्ष 2010-11 के दौरान गसब ने मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के सरकार के चयनित विभागों में प्रोदभूत लेखाकरण पर पायलट अध्ययन पर मार्गदर्शन किया। मार्च 2011 को 21 राज्य सरकारें सिद्धान्त रूप से प्रोदभूत लेखाकरण को अपनाने के लिए सहमत हो गई।

प्रक्रिया एवं मानक

सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)वर्तमान नियमों, अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखाकरण मानकों (आईपीएसएएस) को ध्यान में रखते हुए लेखाकरण मानक विकसित करता है। इसके बाद इन्हें पब्लिक डोमेन के माध्यम से उजागर किया जाता है और सभी पणधारियों को टिप्पणी के लिए परिचालित किया

जाता है। तत्पश्चात मानक पणधारियों से प्राप्त प्रक्रिया और बोर्ड सदस्यों के मार्गदर्शन को ध्यान में रखकार विनिर्मित किये जाते हैं। एक बार अनुमोदन होने के बाद मानक आगे के सोच -विचार और अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को प्रेषित किये जाते है। 31 मार्च 2011 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित और वित्त मंत्रालय को 2010-2011 के दौरान प्रेषित अधिसूचित मानकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

(क) गसब द्वारा विनिर्मित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मानक

- आईजीएएस 1: सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतिः प्रकटीकरण अपेक्षाएँ

(ख) सोच विचार एवं अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को प्रेषित मानक

- आईजीएएस 2: सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण
- आईजीएएस 3: रोकड़ प्रवाह विवरण
- आईजीएएस 4: सामान्य प्रयोजन सरकार के वित्तीय विवरण
- आईजीएएस 5: सरकारों द्वारा दिये गए उधार एवं अग्रिम
- आईजीएएस 7: विनिमय दर में परिवर्तन के कारण विदेशी मुद्रा तथा लाभ/हानि
- आईजीएएस 10: लोक ऋण और अन्य देयताएँ और सरकारें: प्रकटीकरण अपेक्षाएं

(ग) गसब द्वारा अनुमोदित मानक

- आईजीएफआरएस 2: सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और मार्गनिर्देश

	नियम पुस्तिकाओं/निर्देशनों का नाम
1	बेईमानी एवं भ्रष्टाचार पर स्थाई आदेश
2	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन - लेखापरीक्षण निर्देशन
3	राज्य विधान सभा के पीएसी/कोपू के नये बनाये गये सदस्यों के लिए प्रारम्भिक गाइड

नियम-पुस्तिकाओं के विकास और अद्यतन साई इण्डिया की एक निरन्तर प्रक्रिया है। 2010-11 के दौरान हमने सारणी में उल्लिखित तीन नियम पुस्तिकाएं/निर्देशन विकसित किये हैं। पर्यावरण लेखापरीक्षाएं, विशेषकर राज्य स्तर पर अधिक प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की लेखापरीक्षा करने के लिए एक नियम -पुस्तिका बनाई जाये। कई वर्षों से हमारे द्वारा किये गये पर्यावरण

लेखापरीक्षा के अनुभव और विश्व में पर्यावरण लेखापरीक्षण की अच्छी प्रथाएं इस नियम - पुस्तिका में शामिल है। प्रथमतः यह भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारियों और स्टॉफ के प्रयोग के लिए बनाया गया है और इससे पर्यावरण लेखापरीक्षाएं करने के लिए एक तर्कसंगत ढांचा उपलब्ध होने की उम्मीद है।

जहाँ कही सुसंगत है, इन मार्गनिर्देशों को इन्टोसाई समूहों और समितियों द्वारा जारी निर्देशनों के अनुरूप बनाया गया है। इन निर्देशनों और नियम -पुस्तिकाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है एवं उन्हें अद्यतन किया जाता है।

महानिदेशक निरीक्षण

हमारे संगठन में आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य प्रधान निदेशक, निरीक्षण द्वारा पूरा किया जाता है। निरीक्षण विंग आईएएडी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करता है। उनकी रिपोर्टों में निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित विषय शामिल होते हैं। निरीक्षण विंग ने 2010-2011 में निम्नानुसार निष्पादन किया:

आयोजित निरीक्षणों की संख्या	पूरे किए गए निरीक्षणों की संख्या	की गई सिफारिशों की संख्या	कार्यान्वित की गई सिफारिशों की संख्या	अनुपालन प्रतिशतता
79	73	202	108	53.46 प्रतिशत

पीअॅर् रिव्यू

गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में हमने क्षेत्रीय कार्यालयों के पीअॅर् रिव्यू की प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। पीअॅर् रिव्यू निर्देशन 2009-2010, के दौरान बनाये गये थे और 2010-2011 में आईएएडी में 29 लेखापरीक्षा कार्यालय पीअॅर् रिव्यू किये गये थे।

अध्याय VI

हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

हमारे वित्तीय प्रबंधन

₹ 2,258.49 करोड़ के बजट आवंटन के प्रति हमने 2010-2011 में ₹ 2,247.92 करोड़ का व्यय किया। हमने निम्नलिखित घटकों पर व्यय किया:

- **व्यय के घटक**

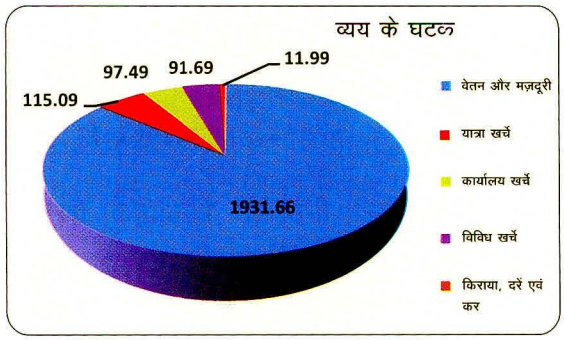

हम अपने संसाधनों का 85.9 प्रतिशत "वेतन " और 5.1 *प्रतिशत* "यात्रा " पर खर्च करते है। इस प्रकार हमारे कुल व्यय का 91 प्रतिशत सीधा हमारी श्रमशक्ति पर व्यय हुआ था।

- **कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान**

सीएजी कार्यालय तथा यूएन लेखापरीक्षा यूनिट को छोड़कर भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग पर किया गया समस्त व्यय दत्तमत है। किए गए कुल व्यय में से व्यय का सबसे बड़ा भाग सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों और उसके बाद सिविल लेखा कार्यालयों पर किया गया था। हमने कुल 60 *प्रतिशत* लेखापरीक्षा पर खर्च

कार्यालयों की विभिन्न श्रेणियां	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
मुख्यालय कार्यालय	66.85	2.97
विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय	14.57	0.65
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	1002.60	44.60
डाक एवं तार लेखापरीक्षा कार्यालय	66.29	2.95
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	120.40	5.36
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	44.24	1.97
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	88.67	3.94
एनएएए, शिमला	6.64	0.30
विभागीय कैंटीन (दत्तमत)	10.01	0.45
सिविल लेखा कार्यालय	**823.74**	**36.64**
यूएन लेखापरीक्षा	**3.91**	**0.17**
जोड़	**2247.92**	**100**

किया (मुख्यालय को छोड़कर)। सिविल लेखा कार्यालय पर किया गया कुल व्यय लगभग 37 *प्रतिशत* था। वर्ष में किए गए मितव्ययिता के उपाय के परिणामस्वरूप व्यय में 2009-10 की तुलना में ₹134.69 करोड़ की कमी हुई।

लेखापरीक्षा की लागत[5]

2010-11 के दौरान लेखापरीक्षा कार्यों पर कुल व्यय ₹ 1410.26 करोड़ था जिसमें प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण के उपरि खर्चे शामिल थे। प्रतिशतता के रूप में लेखापरीक्षा पर किया गया व्यय 2010-11 के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के कुल व्यय और राजस्व का केवल 0.032 प्रतिशत था। 2010-11 के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के व्यय तथा राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:

लेखापरीक्षण कार्यों पर व्यय

लेखापरीक्षित प्रत्येक एक लाख रूपये के लेन देन के लिए लेखापरीक्षा पर व्यय मात्र ₹ 32 था।

(₹ करोड़ में)

विवरण	संघ सरकार	राज्य सरकार	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ			
कर राजस्व	574005	697175	1271180
गैर कर राजस्व	356008	264556	620564
योग-I	930013	961731	1891744
II. व्यय			
राजस्व व्यय	1186115	948477	2134592
पूँजीगत व्यय	140671	154661	295332
योग- II	1326786	1103138	2429924
कुल राजस्व प्राप्तियाँ + व्यय	2256799	2064869	4321668

स्रोतः लेखे एक नज़र में

राजस्व तथा व्यय के उपर्युक्त आंकडों में केन्द्र एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, सरकारी अनुदानों, कर्जों, भारी मात्रा में वित्तपोषित निकायों के लेन-देन तथा संघ तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण के लेन-देन जिनकी सीएजी द्वारा भी लेखापरीक्षा की जाती है, शामिल नहीं हैं। इन प्राप्तियों तथा व्यय की भी गणना करने पर, लेखापरीक्षित प्राप्तियों और व्यय की कुल राशि के अनुपात के रूप में लेखापरीक्षा पर व्यय 0.032 प्रतिशत से काफी कम था।

[5] लेखापरीक्षा की लागत =(कुल राजस्व प्राप्तियाँ+व्यय)/ लेखापरीक्षा पर व्यय

हम अपने मानव संसाधनों का प्रबंध कैसे करते है।

लेखापरीक्षा संगठन होने के कारण, हमारे लोग हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति हैं। हमारा सतत् प्रयास है कि सक्षम तथा प्रेरित स्टाफ का एक पर्याप्त पूल बनाए रखा जाए। 2010-11 के दौरान हमने निम्नलिखित कदम उठाएः

- सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (लेखापरीक्षा/वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) के पद पर सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को की गई समस्त माँग 2010-11 के दौरान पूरी कर ली गई।
- संविदा भर्ती के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति की अनुमति थी ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी के कारण कार्य प्रभावित न हो।
- प्रभावी श्रमशक्ति योजना के लिए मौजूदा कार्य नियमों के संशोधन और लेखा तथा लेखापरीक्षा कार्यालयों मे किए गए /किए जाने वाले कार्य के आंकलन के लिए एक कार्य अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट की जाँच की जा रही है।

हमारे लोग

हमारी श्रमशक्ति मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत हैः

श्रेणी	संख्या
आईए एण्ड एएस	684
पर्यवेक्षीय संवर्ग	15,333
लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ	25,126
बहुविधि कार्य स्टाफ	3,249
जोड़	44,392

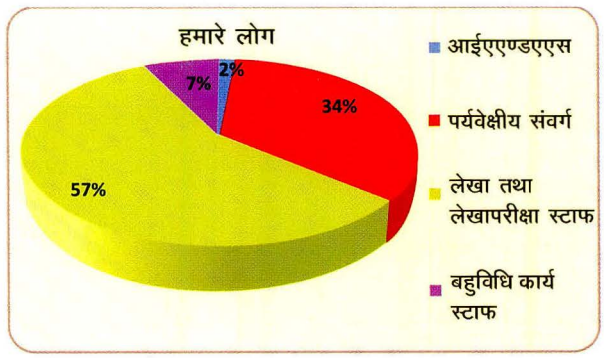

आईएएडी में करीब 34.5 *प्रतिशत* लोग विभिन्न प्रबंधन और पर्यवेक्षीय स्तर पर हैं और 57 *प्रतिशत* लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ है। कुल संख्या का केवल 7.3 *प्रतिशत* (एमटीएस) ही विशुद्ध रूप से कार्य में सहायता करता है। 68055 की स्वीकृत संख्या के प्रति वर्तमान में केवल 65.3 *प्रतिशत* स्टाफ ही विभाग में कार्य कर रहा है। हमने 2010-11 में प्रत्यक्ष रूप से 797 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती की और ग्रुप बी संवर्ग में कमी का काफी हद तक समाधान किया गया था।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षासेवा - (आईए एण्ड एएस) के अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा की जाती है। आईएएडी के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबंधन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। यह उनसे बनता है जिसे भारत सरकार में समूह"ए" सेवा कहते है।

पर्यवेक्षी संवर्ग-राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग (समूह बी) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों, लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारी होते है। वह हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन बनाते है और अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही संवर्ग में उनकी पुष्टि की जाती है।

लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टॉफः- यह संवर्ग लिपिकीय संवर्ग, लेखापरीक्षकों/लेखाकारों और वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों से बनता है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है।

बहुविधि कार्य स्टॉफः- सभी भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालयों में विभिन्न समर्थन कार्य, मल्टी टासकिंग स्टॉफ (एमटीएस) द्वारा किया जाता हैं । हमारे मुख्य स्कंद में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की पदनाम तालिका नीचे दी गई है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक						
	शिखर प्रबंधन	वरिष्ठ प्रबंधन	मध्य प्रबंधन	परिचालनात्मक प्रबंधन	लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ	मल्टी टास्किंग स्टॉफ
सीएजी कार्यालय	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और अपर उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक	महानिदेशक, प्रधान निदेशक	निदेशक, उप निदेशक	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (व.प्र.अ.) प्रशासन अधिकारी (प्र.अ.) सहायक प्रशासन अधिकारी (स.प्र.अ.)	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखाकार, लेखापरीक्षक/ लेखाकार, लिपिक, हिंदी अनुवादक, आईटी स्टॉफ, सचिवालय स्टॉफ आदि	अभि-लेखापाल, चपरासी, ड्राइवर आदि
लेखा.तथा लेखापरीक्षा कार्यालय		प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखापरीक्षा/	व. उप महालेखाकार, उप महालेखाकार	व.प्र.अ., प्र.अ., स.प्र.अ., सहायक महालेखाकर/ सहायक निदेशक	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ लेखाकार, लेखापरीक्षक/ लेखाकार, लिपिक, हिंदी अनुवादक, आई टी स्टॉफ,	अभि-लेखापाल, चपरासी, ड्राइवर आदि
		ले.एवं ह.), महानिदेशक/प्रधान निदेशक			सचिवालयीन स्टॉफ आदि	
प्रशिक्षण अकादमियां और संस्थान		महानिदेशक/प्रधान निदेशक	निदेशक, उप निदेशक	वरिष्ठ लेखापरीक्षा/ /लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, पर्यवेक्षक	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखाकार लेखापरीक्षक/ लेखाकार, लिपिक, हिंदी अनुवादक, आई टी स्टॉफ, सचिवालयीन स्टॉफ आदि	अभि लेखापाल, चपरासी, ड्राइवर आदि

लगभग 44,000 कार्मिकों की संख्या के साथ साई इंडिया विश्व में सबसे बड़ा साई है। साई के पास विभिन्न प्रबंधकीय स्तर पर 36 *प्रतिशत* कार्मिक और पर्यवेक्षीय स्तर पर 57 *प्रतिशत* लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टॉफ है। कुल संख्या का केवल 7 *प्रतिशत* (एमटीएस) स्टॉफ केवल सहायता कार्य करता है।

अर्हता

अर्हता के दृष्टिकोण से देखते हुए हमारे पास 917 लेखांकन तथा लेखापरीक्षा व्यवसायी, 103 सीआईएसए/सीआईए अर्हता-प्राप्त कार्मिक और हमारे समूह ख और ग संवर्गों में 27,360 स्नातक हैं।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा में 8 डॉक्ट्रेट, 241 व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त[6] अधिकारी, 294 स्नातकोत्तर और 141 स्नातक है।

नियुक्तियां

श्रेणी	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा	19
पर्यवेक्षणीय संवर्ग	501

हमने 2010-2011 में 2937 कार्मिक नियुक्त किये। जहां ग्रुप"ग" श्रेणी अर्थात लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टॉफ श्रेणी में सब से ज्यादा संख्या की नियुक्तियां (2411) की गई।

[6] प्रबंधक, इंजीनियर, डाक्टर, सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएफई, सीआईएसए आदि

सकारात्मक कार्यवाही

हमारे कार्मिकों में से हमारे पास "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति" और "अन्य पिछड़े वर्ग" के 25 *प्रतिशत* कार्मिक हैं। हमारे एक प्रतिशत कार्मिक "भिन्न योग्यता वाले" लोग और इनमें से 2 *प्रतिशत* "भूतपूर्व सैन्य सेवा" के हैं।

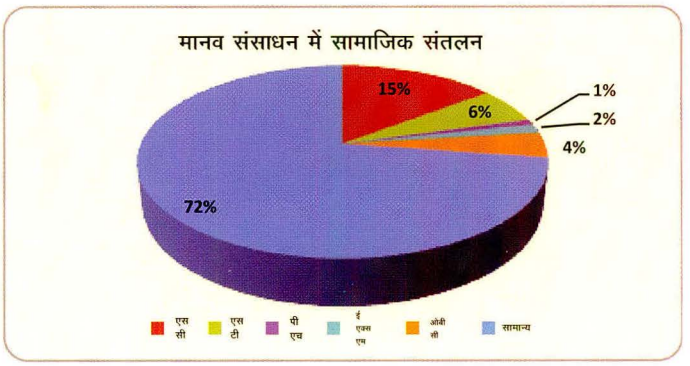

लिंग संतुलन

श्रेणी	महिलाएं	पुरूष
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा	155	529
पर्यवेक्षीय संवर्ग	2,702	12,631
लेखा/लेखापरीक्षा स्टॉफ	5,676	19,450
मल्टी टासकिंग स्टॉफ	513	2,736
योग	9,046	35,346

किसी भी संवर्ग में महिला कर्मचारियों की संख्या, संवर्ग की कुल संख्या के 23 *प्रतिशत* से अधिक नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा में, महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता अधिकतम लगभग 23 प्रतिशत और मल्टी टासकिंग स्टॉफ के बीच निम्नतम 16 प्रतिशत है। इस प्रकार, हमारे संवर्गों में अधिक महिलाएं नहीं है, परन्तु हमारे पास निर्णय लेने के स्तर पर महिलाओं की अधिक प्रतिशतता है।

स्टाफ एसोसिएशन

हमारे पास लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टॉफ और पर्यवेक्षण संवर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 238 स्टॉफ एसोसिएशन और 5 आल इण्डिया फेडरेशन हैं। 2010-11 में, लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग मुख्यालय के शीर्ष स्तर फेडरेशनों और उच्च प्रशासनिक स्तर के बीच अठारह बैठकें हुई। क्षेत्रीय कार्यालयों में, स्थानीय स्टॉफ एसोसिएशन के साथ दोनों औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से निरन्तर अन्तरालों के बीच बैठकें की गई।

व्यावसायिक क्षमता विकास

तेज़ी से बदलते परिवेश में यह भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारियों और स्टॉफ के लिए आवश्यक है कि वे नियमित आधार पर अपने ज्ञान और दक्षता को अपग्रेड करे। निर्धारित आवश्यकताओं के आधार पर, कर्मचारियों और स्टॉफ को भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में 12 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा देश में और देश से बाहर अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में भेजे जाते हैं।

नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा और सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (डीआरएएओ) को सेवा में स्थायीकरण से पहले व्यापक और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना पड़ता है। भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा अधिकारी 104 सप्ताह का प्रशिक्षण लेते हैं। इस प्रशिक्षण में 15 सप्ताह का आधार पाठ्यक्रम, 70 सप्ताह का व्यावसायिक प्रशिक्षण दो चरणों में 3 सप्ताह का अध्ययन दौरा और 16 सप्ताह का ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल है। सेवा में स्थायीकरण से पहले अधिकारियों से विभागीय परीक्षा (भाग-I और भाग- II) उत्तीर्ण करना अपेक्षित है।

वे अधिकारी, जो प्रौन्नति पर या पार्श्विक नियुक्ति के माध्यम से भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवांरभ करते हैं, वे भी राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी (एनएएए) शिमला, में आधार प्रशिक्षण लेते हैं।

डीआरएएओ परिवीक्षार्थी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में 7 माह का प्रशिक्षण लेते हैं, जब वे नियुक्त होते हैं। इसमें 3 माह का आधार प्रशिक्षण उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में, 1 माह का ऑन द जॉब प्रशिक्षण और 3 माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण शामिल है। सहायक प्रशासन अधिकारी के रूप में स्थाईकरण से पहले उनसे अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है।

सेवा में प्रशिक्षण

हमारे संगठन के अधिकारी और स्टॉफ व्यापक रूप से लेखा, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन और आईटी में प्रशिक्षित हैं। नई पद्धतियां कार्यान्वित करने और वर्तमान प्रथाओं के साथ अपने मानव संसाधनों को अद्यतन करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। विभाग के 12 प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित प्रशिक्षण के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने कार्मिकों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए आन्तरिक प्रशिक्षण का संचालन अपेक्षित है।

अपने कार्मिकों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए आन्तरिक प्रशिक्षण का संचालन अपेक्षित है।

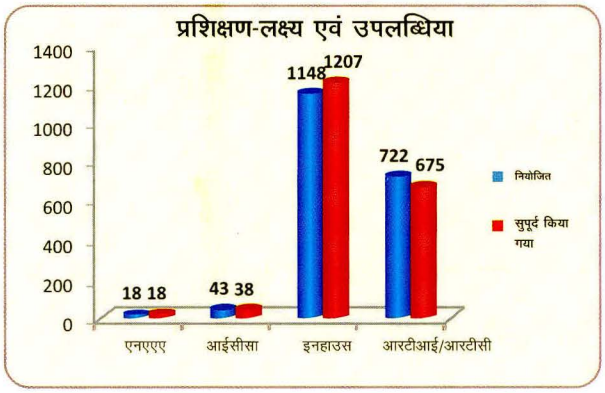

जहां एनएएए, शिमला और आईसीसा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा अधिकारियों की प्रशिक्षण अपेक्षाओं को पूरा करती है वहीं हमारे पास नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) भी हैं जो पर्यवेक्षण संवर्गों और लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टॉफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा और पर्यवेक्षण संवर्गों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के अलावा आईसीसा पूरे विश्व के साई के भागीदारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है।

उक्त ग्राफ दर्शाता है कि आरटीआई और आन्तरिक प्रशिक्षण के मामले में निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त किये गये लक्ष्यों से अधिक थे। जबकि एनएएए शिमला ने वर्ष के दौरान 417 आईएएंडएएस अधिकारियों, आरटीआईज़ ने वर्ष के दौरान 12,232 लोगों को प्रशिक्षित किया, आईसीसा नोएडा ने 1,002 लोगों को प्रशिक्षण दिया जिसमें 280 अन्तर्राष्ट्रीय भागीदार शामिल थे।

अपने विभाग में प्रशिक्षण के अलावा 2010-2011 के दौरान हमारे 56 अधिकारी भारत के भीतर बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों और 44 अधिकारी भारत से बाहर प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किये गए थे।

श्रेष्ठता के केन्द्र

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के सभी आरटीआई/आरटीसी उनको आबंटित विषयों के लिए श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं। श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में आरटीआई संरचना प्रशिक्षण माड्यूल, विषय अध्ययन और अन्य पठन सामग्री का विकास नियमित आधार पर करते हैं। विभिन्न संस्थानों के लिए श्रेष्ठता के क्षेत्र इस प्रकार हैं :

क्र.स.	आरटीआई/आरटीसी	श्रेष्ठता का क्षेत्र
1	आरटीआई, जम्मू	रक्षा लेखापरीक्षा
2	आरटीआई, जयपुर	सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा
3	आरटीआई, कोलकत्ता	रेलवे लेखापरीक्षा और स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा
4	आरटीआई, मुम्बई	निगम प्रशासन और वित्त और नगर निगमों की लेखापरीक्षा
5	आरटीआई, नागपुर	राजस्व लेखापरीक्षा
6	आरटीआई, चेन्नई	अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी की लेखापरीक्षा
7	आरटीआई, राँची	लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा
8	आरटीआई, इलाहाबाद	गसब और प्रमाणन लेखापरीक्षा
9	आरटीआई, शिलाँग	लागू वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका के अनुसार स्वायत्त जिला परिषदों में प्रमाणन लेखापरीक्षा
10	आरटीसी, बैंगलोर	सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
11	आरटीसी, हैदराबाद	स्थानीय निकाय और सामाजिक लेखापरीक्षा
12	आरटीसी, नई दिल्ली	सूचना प्रौद्योगिकी

प्रकाशनः ज्ञान के आदान प्रदान के प्रयास के रूप में हमारे संगठन में कार्यालयों के कार्यात्मक विंगों द्वारा कई जर्नल और पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। जैसे प्रबंधन और प्रशिक्षण का जर्नल, आधारिक नेतृत्व-स्थानीय निकाय विंग का ग्रासरूट्स ई-जर्नल रूपी ट्रेल, राजस्व लेखापरीक्षा स्कंद का तिमाही ई-जर्नल फरवरी 2011 में शुरू किया गया था।

पुस्तकालयः हमारे विभाग में लगभग प्रत्येक कार्यालय एक पुस्तकालय का रख-रखाव करता है और विभिन्न विषयों पर पत्र और पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है। हमारे पास आईएएडी के कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी और हिंदी की लगभग 3,77,000 पुस्तकें हैं। कार्यालय और प्रशिक्षण संस्थान लगभग 650 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं के सदस्य हैं।

वेबसाइटः सीएजी वेबसाइट सभी पणधारियों को हमारे और हमारे उत्पादों के बारे में व्यापक सूचना उपलब्ध कराती है। हमारी निकट भविष्य में वेबसाइट बढ़ाने की योजना है। महालेखाकार लेखापरीक्षा और महालेखाकार लेखा के 26 कार्यालयों के लिए संयुक्त वेबसाइट आरंभ की गई है। तीन कार्यालयों के लिए वेबसाइट प्रगति में है। नियमों और विनियमों में परिवर्तनों पर सभी अपडेट्स, कार्यालयों को आईएएडी मेल सर्वर के माध्यम से उपलब्ध काराए जाते हैं। ब्यौरेवार सूचना, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण सामग्री आन्तरिक प्रयोक्ताओं को मेल सर्वर पर कॉमन फोल्डर के माध्यम से उपलब्ध है।

इन्ट्रॉनेटः शाखा कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इन्ट्रानेट सुविधाएं उपलब्ध हैं।

वरचुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन)- पूरे भारत में विभाग के भीतर सभी आईएएण्डएएस अधिकारियों को वीडियो कॉनफ्रेंसिंग, इन्टरनेट, ई-मेल, फैक्स और वीओआईपी की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नवम्बर 2009 में वरचुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) परियोजना पर विचार किया गया था। आज की तारीख में 167 कार्यालयों को सम्पूर्ण सेवाएं उपलब्ध है।

राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयास

2010-2011 में निम्नलिखित कार्य किये गयेः

प्रकाशनः मुख्यालय द्वारा हिंदी पत्रिका *"लेखापरीक्षा प्रकाश"* के चार अंक प्रकाशित किये गये। क्षेत्रीय कार्यालय भी तिमाही/छःमाही अंतरालों पर हिन्दी पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं।

हिंदी बैठकेंः सीएजी कार्यालय और आईएएडी के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए तिमाही बैठकें की गई।

हिंदी पखवाड़ाः आईएएडी के सभी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा 15 सितम्बर 2010 से 29 सितम्बर 2010 तक मनाया गया। *पखवाड़ा* समारोहों में कई प्रतियोगताएं आयोजित की गई। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिंदी कार्य और पत्रिका में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए दिल्ली में समापन समारोह के दौरान भारत के उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने उन्हें *राजभाषा* शील्डें प्रदान की।

हिंदी निरीक्षणः भारत सरकार के निदेशानुसार आईएएडी के 25 प्रतिशत क्षेत्रीय कार्यालयों में *राजभाषा* निरीक्षण किये गये।

हिंदी अनुवादः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा नियमपुस्तक और पीएसी/कोपू के नये शामिल सदस्यों के लिए परिचयात्मक संदर्शिका, आईएएंडएडी की दूरभाष डायरेक्टरी और सभी परिपत्रों, पत्रों और कार्यालय आदेशों का हिन्दी में अनुवाद किया गया।

हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करते हैं

आपने पहले भी देखा कि ज्ञान की सांझेदारी के लिए हमने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे किया। इसके अतिरिक्त हम अपने सभी कार्य क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं।

लेखा कार्यालयों में: सभी लेखा कार्यालयों में ऑरकल प्लेटफार्म पर वाउचर लेवल कम्प्यूटराइज़ेशन कार्यान्वित किया गया। इससे लेखाओं पर एमआईएस मज़बूत हुआ है। अन्य हकदारी कार्य जैसे जीपीएफ खातों (आईवीआरएस सहित), पेंशन को अन्तिम रूप देना और राजपत्रित हकदारी का भी कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

प्रशासनिक कार्य: हमारे कार्यालयों में कई प्रशासनिक कार्य कम्प्यूट्रीकृत हैं जैसे वेतन नामावली, व्यय की मासिक समीक्षा, पुस्तकालय, डाक आदि। एकीकृत डाक प्रबंधन प्रणाली को एनआईसी के सहयोग से सफलतापूर्वक सीएंडएजी में कार्यान्वित किया गया है और सीएजी की वेबसाईट http://www.saiindia.gov.in को एनआईसी के साथ पंजीकृत किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यालय: हमारे लेखापरीक्षा कार्यालय लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा कार्यक्रम, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और आपत्तियों का पता लगाने, लेखापरीक्षिती डाटाबेस के रख-रखाव आदि के लिए आईटी का प्रयोग करते हैं।

कार्यप्रणाली और प्रशिक्षण : अधिकांश नियम-पुस्तिकायें, दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण सामग्री डिजिटल फार्म में उपलब्ध है। इस सामग्री का उपयोग आईएएडी के भीतर मेल सर्वर के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त आईएएंडएडी की शाखाओं के 200 से अधिक कार्यालयों में वीपीएन सेवाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

अवसंरचना विकास

इस अवधि के दौरान हमने महालेखाकार कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर, रायपुर में आवासीय परिसर, पटना में टाईप III के 67 क्वार्टर्स, छत्तीसगढ़ में महालेखाकार के 4 बंगले और शिमला में एनएएए, अकादमी के भवन नवीकरण की परियोजनाएं पूरी कर ली हैं।

रायपुर में महालेखाकार कार्यालय भवन

निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी होने वाली/निर्माणाधीन हैं

1. आईजोल, मिजोरम में महालेखाकार कार्यालय भवन ।
2. बैंगलोर में महालेखाकार (ले.व.ह.) के लिए उप भवन।
3. कोहिमा, नागालैंड में 104 क्वाटर्स।
4. अगरतला, त्रिपुरा में 8 क्वाटर्स ।
5. ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय
6. देहरादून, उत्तराखंड-कार्यालय और आवास
7. लखनऊ, उत्तर प्रदेश-कार्यालय
8. पुरी, उड़ीसा-कार्यालय
9. जयपुर-आईसीईडी
10. आरटीआई, शिलांग, आरटीआई और छात्रावास

अध्याय VII

संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम

XXV महालेखाकार सम्मेलन 5 से 9 अप्रैल 2010

द्विवार्षिक महालेखाकार सम्मेलन भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शासन तथा सार्वजनिक जवाबदेही तथा हमारा संस्थान इन क्षेत्रों में जो सहयोग दे सकता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंच प्रस्तुत करता है।

पच्चीसवाँ महालेखाकार सम्मेलन अप्रैल 2010 में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य **'भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का रूपान्तरः समेकन, विस्तार तथा नवीनीकरण'** था।

इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर सुश्री मीरा कुमार द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने भारत के सीएजी की भूमिका को संविधान में प्रदत्त राजकोषीय जवाबदेही के साधन के रूप में उजागर किया। इस महालेखाकार सम्मेलन की मुख्य विशेषता पणधारियों की अपेक्षाओं को समझने की सामूहिक चर्चा थी। इस समूह में श्रीमती शीला दीक्षित, श्री दीपक पारेख, श्री शेखर गुप्ता, श्री टी.एन. नीनन और श्री अमरजीत चोपड़ा शामिल थे।

संबंधित तकनीकी चर्चा समूह द्वारा निम्नलिखित पाँच उप-उद्देश्यों की चर्चा की गईः

i) लेखापरीक्षा कार्य में सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाना

ii) एकीकृत लेखापरीक्षा में संस्थागत ढाँचा

iii) निष्पादन लेखापरीक्षा

iv) लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन

vi) अच्छे शासन तथा अधिक प्रभावशाली लेखापरीक्षा के लिए एक इनेबॅलर की तरह जवाबदेही

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने अपने विदाई भाषण में पुष्टि की कि हमारा यह प्रयास है कि हम सुनिश्चित करें कि सीएजी की रिपोर्टों को संसद/राज्य विधानसभा में समय पर प्रस्तुत किया जाए और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।

राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी का हीरक जयंती समारोह

प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी ने 2010 में अपनी हीरक जयंती मनाई। भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने 18 मई 2010 को यारोज़ शिमला में हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर एक डाक-टिकट और विशिष्ट कवर एवं स्मारक जारी किया।

भारत के माननीय उप राष्ट्रपति द्वारा डाक टिकट जारी

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 150 वर्ष

भारत के नियंत्रक लेखापरीक्षक की संस्था के 150 वर्ष भी 2010 में पूर्ण हुए। प्रारंभ वर्ष सन् 1860 में, इस कार्यालय को "भारत के महालेखापरीक्षक " के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया था और इसके महालेखापरीक्षक सर एडवर्ड ड्रमॉण्ड थे। 150वीं सालगिरह के वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन समारोह विज्ञान भवन में मनाया गया। अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अलावा भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, वित्तमंत्री श्री पी चिदम्बरम और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी ने अपनी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ाई। भारत के राष्ट्रपति ने लम्बे समय से देश की सेवा के स्मरण में "भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक" पर एक डाक-टिकट जारी किया।

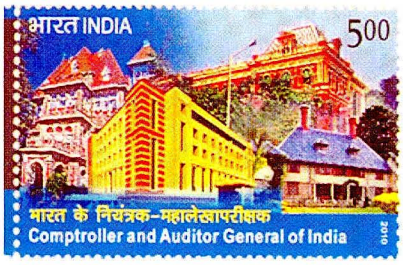

यह अवसर हमारे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में मनाया गया। राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्री तथा वैधानिक समितियों के अध्यक्षों ने लगभग सभी राज्यों में मनाए गए 150वें समारोह में भाग लिया। केन्द्र और राज्यों में उच्चतम स्तर के पदाधिकारियों से संस्था को मिली मान्यता संघीय ढाँचे, के उन सभी मुख्य पणधारियों को एक पुरस्कार था जिन्होंने विचारधारा और आस्था की सीमा को लांघ कर इस संस्था में अपना विश्वास प्रकट किया तथा संघीय हुकूमत के समग्र काम-काज में अपनी भूमिका की सराहना की।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के लिए अलग लोगो अपनाना

संस्था की 150वीं सालगिरह मनाते समय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक श्री विनोद राय द्वारा 10 नवम्बर 2010 को विभाग का नया लोगो जारी किया गया।

भारत के सीएजी का लोगो जारी करते हुए

वर्ष के दौरान समारोह के भाग के रूप में कई अन्य संगोष्ठियाँ/सम्मेलन भी आयोजित किए गए।

शासन और जवाबदेही पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी (15 नवम्बर 2011)

उन मुद्दों को उठाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जोकि जवाबदेही और शासन पर वर्तमान वाद-विवाद को स्पष्ट करती थी। इस पैनल में बांग्लादेश और भूटान के महालेखापरीक्षक, डेनमार्क के उप-महालेखापरीक्षक और विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन के प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन में भारत सरकार के मुख्य सचिवों, सचिवों, निजी क्षेत्र उद्यमों के सीईओज आदि ने भाग लिया।

माल व सेवा कर पर सम्मेलन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा "माल और सेवा करः पारगमन मुद्दे" पर 14 से 15 दिसम्बर 2010 तक दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया। अपने स्वागत भाषण में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने कहा, "एक व्यवसायिक लेखापरीक्षक होने के कारण हम अपने कौशल को लगातार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" वित्तमंत्री ने जीएसटी संगोष्ठी में अपने उद्घाटन भाषण में उस समय जब भारत के कर ढाँचे और उसके वैधानिक ढाँचे की समीक्षा की जा रही है और इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है तब इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न पणधारियों को एक ही मंच पर लाने के लिए समय पर की गई इस पहल के लिए सीएजी को बधाई दी। समूह के सदस्यों ने वैट से जीएसटी में बदलने के संदर्भ में पणधारियों की चिंताओं को उजागर किया।

अच्छे शासन के लिए सरकारी लेन-देन में नकदी को समाप्त/कम करने पर संगोष्ठी

"सरकारी लेन-देन में नकदी को समाप्त/कम करने पर - **एकीकृत वित्तीय प्रबंध की ओर अग्रसर**" करने पर संगोष्ठी 9 व 10 फरवरी 2011 को गुवाहटी में **क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, शिलाँग** द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की भागीदारी के साथ आयोजित की गई थी।

अध्याय VIII

प्रमुख पणधारियों के साथ हमारा संपर्क

पणधारियों के साथ हमारी बातचीत निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। हमारे ग्राहकों और पणधारियों के साथ हमारी वार्ता हमे साई इंडिया से पणधारियों की आकांक्षाओं को समझने में मदद करती है और हमारे द्वारा किए जा रहे आश्वासन और जवाबदेही के कार्य को अर्थ देती है। हमने एक सूचना नीति प्रलेखित की है जो बाहरी पणधारियों के साथ हमारी चर्चा का मार्गदर्शन करती है।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

जैसा कि अध्याय II में उल्लिखित है सीएजी और उनका उच्च प्रबंधन, लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड तंत्र द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सलाह लेता है। 2010-11 के दौरान विभिन्न लेखापरीक्षा मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बोर्ड की दो बार बैठकें हुई थीं। इन बैठकों में विनियामक निकायों की लेखापरीक्षा, आईएएडी के 150 वर्ष पूरे होने का समारोह, कार्यनीति योजना 2020, 2जी स्पैक्ट्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा, कॉमनवेल्थ परियोजना की लेखापरीक्षा, पर्यावरण लेखापरीक्षा आदि पर चर्चा हुई। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से वार्ता और सलाह लेने के लिए राज्य महालेखाकारों (लेखापरीक्षा) के लिए राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड भी बनाए गए थे।

लेखापरीक्षा इकाईयों के साथ संपर्क

हमारी लेखापरीक्षित इकाईयाँ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में एक प्रमुख पणधारी हैं। लेखापरीक्षा से पहले, उसके दौरान और बाद में उनके साथ हमारी परस्पर चर्चा निरन्तर आधार पर होती रहती है। लेखापरीक्षित इकाईयों को हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की सूचना काफी पहले दे दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उदाहरणार्थ निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले में लेखापरीक्षित इकाई के साथ परामर्श से लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है। सभी लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के आरंभ और समाप्ति पर एन्ट्री और एग्जिट कान्फ्रेंस करते हैं। लेखापरीक्षा के हर स्तर पर लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा शंकाओं और आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर जारी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार और कार्रवाई करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। जब एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रणालीगत प्रकृति की सतत् अनियमितताएं पायी जाती हैं, तो लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा विषयों की सूचना देने के लिए पत्र जारी किए जाते हैं।

लेखापरीक्षित इकाइयों के अधिकारियों को नियमित रूप से विभाग में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है।

लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समितियों से सपंर्क

संघ और राज्य स्तर पर लोक लेखा समिति (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रम समितियाँ (कोपू) सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारे प्रमुख भागीदार हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जो कि संसद/विधानमण्डल के पटल पर रखे जाते है पीएसी / कोपू को संदर्भित होते हैं। सीएजी, रिपोर्ट पर विचार हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं का एक ज्ञापन तैयार करने में समितियों के कार्यान्वयन में सहायता करता है। सीएजी और उनके प्रतिनिधि बैठकों के दौरान पीएसी/कोपू को उनके साक्ष्यों की जाँच में सहायता करते हैं। उनकी जाँच के आधार पर पीएसी/कोपू रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, जिनमें सिफारिशें होती हैं। कार्रवाई को समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट करना होता हैं। इसके बाद समितियाँ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। उस मामले में जब बैठकों में लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा नहीं की जाती, तो कार्यकारी को रिपोर्ट द्वारा विधिवत जांच की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिए 2010-11 में केन्द्रीय पीएसी/ कोपू की 49 बैठकें हुई थीं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष 2010-11 के दैरान पीएसी/कोपू की बैठकों की संख्या	वर्ष 2010-11 के दौरान चर्चा किए गए पैरों/निष्पादन रिपोर्ट की संख्या
केन्द्रीय	39	24
वाणिज्यिक	03	0
रेलवे	03	02
प्रत्यक्ष कर	01	0
अप्रत्यक्ष कर	03	03
कुल	49	29

राज्य पीएसी/कोपू की 1,114 बार बैठकें हुई और उनमें 2,349 पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	की गई बैठकों की संख्या	चर्चा किए गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
सिविल	482	1208
राजस्व प्राप्तियाँ	379	744
वाणिज्यिक	244	368
स्थानीय निकाय	09	29
कुल	1114	2349

विधानमण्डल लेखापरीक्षा इन्टरफेस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

5 जुलाई, 2010 को संसद भवन में विधान मंडल लेखापरीक्षा इन्टरफेस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसका उदघाटन लोक सभा स्पीकर सुश्री मीरा कुमार के द्वारा किया गया। सभी राज्यों की विधान सभाओं के स्पीकरों, राज्यों की पीएसी/ कोपू के अध्यक्षों एवं सदस्यों ने संगोष्ठी में भाग लिया। राज्यों की पीएसी/कोपू के कुछ अध्यक्षों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों की प्रतिक्रिया में, सीएजी ने राज्यों पीएसी/ कोपू के सदस्यों के हित के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के प्रबन्धन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य पीएसी/ कोपू के सदस्यों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए मुद्दों की महत्ता को समझने के योग्य बनाना है।

शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानो के साथ संपर्क

हम कुछ शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के साथ भी संपर्क करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केन्द्रीय संस्थान परिषदों जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत और कार्य लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के लिए नामित किया जाता है। आईसीएआई की परिषद का सदस्य होने के नाते, अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों की समितियों/बोर्डों जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड, आन्तरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, ऐथिकल स्टेंडर्ड बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, पीअर रिव्यू बोर्ड इत्यादि में भी नामित किया जाता है जिससे इन व्यावसायिक निकायों के साथ लगातार संपर्क सुनिश्चित हो सके। हमारे स्टाफ और

अधिकारियों के प्रशिक्षण में संकाय सहायता के लिए विभाग के प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी संपर्क करते हैं।

मीडिया के साथ संपर्क

बाहरी पणधारियों हेतु हमारी संचार नीति के अनुसार संचार नीति के मामलों से संबंधित निर्णयों के लिए सीएजी सर्वोच्च प्राधिकारी है। उनकी अनुपस्थिति में, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और संचार नीति के प्रभारी अधिकारी मीडिया से संपर्क करते हैं। ऐसा संपर्क विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो, जारी करने के लिए पणधारियों की मूलभूत सूचना अपेक्षाओं को पूरा करने या मीडिया सहित बाहरी एजेंसियों द्वारा किसी मिथ्यावर्णन या तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण को दूर करने के लिए सूचना के प्रसार हेतु अभिप्रेत है।

मुख्यालय कार्यालय में सूचना नीति सेल जिसका प्रमुख एक मीडिया सलाहकार है, प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और जनता के साथ प्रभावी संचारण के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय का प्रवक्ता है। प्रधान महालेखाकार या राज्य में जहाँ कोई प्रधान महालेखाकार नहीं हो तो सबसे वरिष्ठ महालेखाकार स्तर का अधिकारी राज्यों/यूटी में मीडिया के साथ प्रभावी संचारण के लिए उत्तरदायी है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालय सभी राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों के सम्पादकों /रिपोर्टरो, रेडियो, टेलीविजन चैनलों की एक अद्यतन सूची का रख-रखाव करते हैं।

संसद/राज्य विधान मण्डल में प्रत्येक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के तुरन्त बाद नामित अधिकारियों द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस की जाती है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के बाद प्रेस सार भी जारी किए जाते हैं। संसद/राज्य विधानमण्डल के पटल पर प्रस्तुत करने के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की विषय वस्तु को उजागर करने के लिए विभाग के अधिकारी प्रेस या रेडियो या टेलीविजन चैनलों को साक्षात्कार भी दे सकते हैं।

अध्याय IX

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान

साई इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में लेखापरीक्षा मानकों और पद्धतियों के विकास का मुख्य भागीदार और प्रमुख सहयोगी है। साई अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर कार्य कर लेखापरीक्षा पद्धतियों को सुदृढ करने में मदद करता है।

इंटोसाई

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) के एक सदस्य है जिसके सदस्य 189 देश हैं। इंटोसाई समुदाय में सीएजी निम्नलिखित भूमिकाएं निभाता है :

- इंटोसाई के शासकीय बोर्ड का सदस्य।
- इंटोसाई के लक्ष्य 3 की नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज सर्विसेस कमेटी की अध्यक्षता।
- आईटी लेखापरीक्षा पर कार्यकारी ग्रुप की अध्यक्षता (डब्ल्यूजीआईटीए)।
- विभिन्न इंटोसाई समितियों और कार्यकारी ग्रुपों की सदस्यता।
- इंटोसाई कोलेबोरेशन टूल का प्रबन्धन।

भविष्य के मुख्य क्षेत्र

नॉलेज शेयरिंग समिति

नॉलेज शेयरिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में, हम एक ढाँचा विकसित करेंगे जो वर्किंग ग्रुप/टास्क फोर्सेस के मूल्यांकन/उनके कार्यक्षेत्र के दायरे/गतिविधियों और वर्किंग ग्रुपों/टास्क फोर्सेस की गतिविधियों की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए उनकी नीतिगत योजना के संरेखण में सहायता करेगा। हम लक्ष्य 3 के लिए भी एक ग्लोबल फीडबैक तंत्र की स्थापना की शुरूआत करेगें। हम इन्टोसाई संचार नीति और योजना के अनुरूप इन्टोसाई कोलेबोरेशन टूल (आईसीटी) के विस्तारित उपयोग को बढ़ावा देने की योजना बना रहे है। इन्टोसाई की सभी समितियाँ, उप समितियाँ, वर्किंग ग्रुप, टास्क फोर्सेस को आईसीटी का

उपयोग करने वाली परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आईसीटी इन्टोसाई समुदाय के लिए प्रासंगिक संयुक्त उत्पादों के विकास के लिए अग्रानुक्रम में विभिन्न ग्रुपो के लिए अनूठा अवसर प्रदान करती है। हम आगे की सुविधा के लिए और लक्ष्य 3 के वर्किंग ग्रुप और टास्क फॉर्सिज़ के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए वेबसाइट http://www.intosaiksc.cag.gov.in का विकास करेंगे। वेबसाइट सभी वर्किंग ग्रुपों/टास्क फॉर्सिज़ और उनके उत्पादों के लिए उपलब्ध होगी। वेबसाइट में उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए भंग वर्किंग ग्रुपों/टास्क फॉर्सिज़ के उत्पाद भी सम्मिलित होंगे।

आईटी लेखापरीक्षा पर इन्टोसाई वर्किंग ग्रुप (डब्ल्यूजीआईटीए)

डब्ल्यूजीआईटीए के अध्यक्ष के रूप में हमारा ध्यान लेखापरीक्षा से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम प्रथाओं और तरीकों के सृजन और साझेदारी और सूचना के आदान प्रदान की सुविधा पर होगा। साई इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रक्षेत्रों अर्थात " क्लाउड कम्प्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशंन एंड ग्रीन आईटी " परियोजनाओं में भागीदारी में भी हिस्सा ले रहा है।

एसोसाई

सीएजी सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के एशियन संगठन (एसोसाई) में 1979 में इसके प्रारम्भ से सक्रिय रूप से सम्मिलित है। सीएजी 1979 से 1982 और 1994 से 1997 में एसोसाई के अध्यक्ष पद और 2000 से 2009 में महासचिव के पद पर थे। सीएजी 1979 से निरन्तर रूप से एसोसाई के संचालक मंडल में हैं। एसोसाई के साथ हमारा संबंध निम्नलिखित में है:

- एसोसाई के चार्टर सदस्य।
- एसोसाई के शासकीय बोर्ड के सदस्य।
- 9वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना के सदस्य।
- वर्ष में दो बार प्रकाशित होने वाली सरकारी लेखापरीक्षा एशियन पत्रिका के संपादक।

अक्टूबर 2009 में XI एसोसाई सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार साई इण्डिया, फरवरी-मार्च 2012 में जयपुर में अगली एसोसाई सभा की मेजबानी करेगा। XII एसोसाई सभा में, साई इंडिया साई पाकिस्तान से एसोसाई की अध्यक्षता लेगा। शासकीय बोर्ड की 44वीं और 45वीं बैठकों से पहले और बाद में सभा की बैठक होगी।

हमारे अधिकारियों ने निम्नलिखित एसोसाई गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लिया:

- सियोल कोरिया में "आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों के मूल्यांकन और सुधारों और आन्तरिक लेखापरीक्षा यूनिटों और साई के बीच संबंध" पर 9वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना (एआरपी) की पहली बैठक।

- जापान में प्रशिक्षक डिजाइन बैठक और इस्तानबुल, तुर्की में "पर्यावरण लेखापरीक्षा" पर एसोसाई की कार्यशाला।

ग्लोबल वर्किंग ग्रुप

ग्लोबल वर्किंग ग्रुप (जीडब्ल्यूजी) एक मंच है जो उन्नीस महालेखाकारों के एक चयनित ग्रुप को उनकी सरकारों और कार्यालयों के मौजूदा और उभरते हुए चिन्ता के विषयों पर वार्षिक रूप से संगठित किन्तु अनौपचारिक चर्चा के लिए बैठक करवाता है और सूचना साझा करने और मिलकर कार्य करने के अवसरों का पता लगता है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ग्लोबल वर्किंग ग्रुप की स्थापना से ही इसके एक सदस्य हैं।

वर्किंग ग्रुप की 12वीं बैठक का आयोजन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा 21 से 23 मार्च 2010 तक भारत में केरल के कुमाराकोम में किया गया था।

बैठक में निम्नलिखित चार विषयों पर चर्चा की गई थी:

थीम 1: साई और उनके हितधारकों अर्थात विधायिकाओं, सिविल समाज, मीडिया और जनता के बीच संचार सुधार

थीम 2: साई का क्षमता निर्माण-साई के परिचालन वातावरण में विकास की चुनौतियों से परिचित रहना और कमजोर साई की क्षमता निर्माण में सहायता में साई की भूमिका

थीम 3: तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं का लेखापरीक्षा-संरचनात्मक परियोजनाओं से पैसे के मूल्य को सुनिश्चित करने में साई की भूमिका

थीम 4: वैश्विक वित्तीय संकट का परिणाम-सरकारी एजेंसियों और साई के लिए उत्पन्न सीख

साई इंडिया ने थीम 2, "साई का क्षमता निर्माण" पर पेपर प्रस्तुत किया ।

महालेखाकारों का राष्ट्रमण्डल सम्मलेन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक राष्ट्रमण्डल महालेखाकार सम्मेलन के भी एक सदस्य हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

साई इण्डिया 2010-11 की अवधि के दौरान निम्नलिखित संगठनों का बाह्य लेखापरीक्षक था:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
- अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ)
- अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रवसन संगठन (आईओएम)
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

आईपीएसएएसबी

भारत वर्तमान में आईपीएसएएस बोर्ड में सुश्री भारती प्रसाद, सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की तत्कालीन अध्यक्षा और उप सीएजी, अब सेवानिवृत, द्वारा जनवरी 2009 से दिसम्बर 2011 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है। आईपीएसएएस बोर्ड की शर्तों के अनुसार, प्रत्येक सदस्य पूरी अवधि के दौरान एक तकनीकी सलाहकार को सहयोगी रख सकता है। आजकल गसब सचिवालय के अधिकारियों को तकनीकी सलाहकार के रूप में नामित किया जाता है और सदस्य के साथ वह आईपीएसएएसबी बैठक में भाग भी लेता है। गसब सचिवालय के अधिकारियों ने टोरंटो, कनाडा और इटली में आईपीएसएएसबी की बैठकों में भाग लिया।

अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रलापों और गतिविधियों में हमारी साझेदारी

हमारे अधिकारियों ने निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकलापों और गतिविधियों में हिस्सा लिया:

- बीजिंग और शंघाई, चीन में पहला इण्डो-चीन यंग आडिटर फोरम।
- वाशिंगटन में "नए मानकों के व्यवहारिक उपयोग के लिए पारदर्शिता बढ़ाने और कार्यक्रम निष्पादन" पर आईसीजीएफएम का शीतकालीन सम्मेलन।
- दो साई के बीच समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत मुम्बई में 11वीं इन्डो-पोलिश संयुक्त

संगोष्ठी।

- दो साई के बीच समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत हैदराबाद में "बजट के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा" पर 17वीं इन्डो चीन संयुक्त संगोष्ठी।

नई पहल

भारत के सीएजी ने 2012 से 2017 की छः वर्षों की एक अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के बाह्य लेखापरीक्षक की प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया में भाग लेने का निर्णय लिया।

चयन मानदंड काफी विस्तृत था और उसमें अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रशिक्षण और अनुभव लेखापरीक्षा दृष्टिकोण और नीति, रिर्पोटों और लागत की स्वतंत्रता सम्मिलित थी।

आईआर डिविजन ने 44 पन्नों का एक तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव तैयार किया जिसके परिणामस्वरूप साई इण्डिया के साथ साथ यूके और आयरलैंड के एनएओ को मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए चुना गया जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ।

भारत के सीएजी एक उच्चतम मूल्यांकित उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आए चयन पेनल ने बाह्य लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए महासभा को हमारी उम्मीदवारी की सिफारिश की है। इस चयन ने हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को काफी ऊपर उठा दिया है।

संकेताक्षर

एएंडई	लेखा और हकदारी
एएओ	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
एईसी	लेखा, हकदारियां और शिकायतें
एजी	महालेखाकार
एआरपी	एसोसाई की अनुसंधान परियोजना
एसोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का एशियन संगठन
एटीएन	की गई कार्यवाही की टिप्पणी
सीए	सनदी लेखाकार
सीएजी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क बोर्ड
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीईआरसी	केन्द्रीय बिजली नियामक आयोग
सीएफई	प्रमाणित धोखाधड़ी निरीक्षक
सीजीए	महानियंत्रक लेखा
सीआईए	प्रमाणित आन्तरिक लेखापरीक्षक
सीआईएसए	प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक
कॉनकोर	भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड
कोपू	सार्वजनिक उपक्रम समिति
सीपीसी	केन्द्रीय वेतन आयोग

डीएजी	उप महालेखाकार
डीएआई	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
डीडीओ	आहरण और वितरण अधिकारी
डीजी	महानिदेशक
डीपीसी	कर्त्तव्य, शक्तियॉ एंव सेवा की शर्तें
डीआरएएओ	सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
एफआरबीएम	वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
गसब	सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएफ	सामान्य भविष्य निधि
जीएसटी	माल और सेवा कर
जीडब्ल्यूजी	ग्लोबल वर्किंग ग्रुप
एचक्यू	मुख्यालय
आईएएडी	भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
आईएएंडएएस	भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीजीएफएम	अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी वित्तीय प्रबन्धन संघ
आईसीएसआई	भारतीय कम्पनी सेक्रेटरी संस्थान
आईसीटी	इन्टोसाई सहयोग उपकरण
आईसीईडी	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखा और धारणीय विकास केन्द्र

आईसीआईएसए	अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केन्द्र
आईसीडब्ल्यूए	इंस्टिट्यूट आफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स
आईडीआई	इंटोसाई विकास उपक्रमण
आईजीएएस	भारत सरकार के लेखाकरण मानक
आईजीएफआरएस	भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईएमओ	अंतराष्ट्रीय समुद्री संगठन
इंटोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन
आईओएम	इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माईग्रेशन
आईपीएसएएस	अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखाकरण मानक
आईआर	निरीक्षण रिपोर्ट
आईआर डिवीजन	अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध डिवीजन
आईआरसीटीसी	भारतीय रेल भोजन प्रबंध और पर्यटन निगम लिमिटेड
आईएसएसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतराष्ट्रीय मानक
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईवीआरएस	इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पोंस सिस्टम
एलबी	स्थानीय निकाय
एलओसी	लेटर ऑफ क्रेडिट
एमएबी	सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली

एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओयू	सहमति ज्ञापन
एमटीएस	बहु-कार्य स्टाफ
एनएएए	राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी
एनएओ ऑफ यूके	यू के का राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम
ओ एण्ड एम	परिचालन और अनुरक्षण
पीएंडटी	डाक एवं दूरसंचार
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीपीजी	व्यावसायिक परिपाटी समूह
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरसी	केन्द्रीय प्रतिवेदन
आरएस	राज्य प्रतिवेदन
आरटीआई	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान
साई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था
सेल	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
एसएमएस	लघु सन्देश सेवा
एसएमयू	नीतिगत प्रबंधन यूनिट

टीजीएस	तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनडब्ल्यूटीओ	विश्व पर्यटन संगठन
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वैट	मूल्य वर्धित कर
वीओआईपी	वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल
वीपीएन	वास्तविक निजी नेटवर्क
डब्ल्यूएफपी	विश्व खाद्य कार्यक्रम
डब्ल्यूजीआईटीए	सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर कार्यचालन ग्रुप
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन

अनुबंध-I

संगठनात्मक चार्ट

विनोद राय

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक → सीएजी के प्रधान निदेशक मीडिया सलाहकार

1	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (प्रशासन एवं स्टाफ विंग)	महानिदेशक (प्रशि/सीपी) महानिदेशक (निरीक्षण) प्रधान निदेशक (आईआर) प्रधान निदेशक (मुख्यालय) प्रधान निदेशक (स्टाफ) प्रधान निदेशक (पीपीजी) प्रधान निदेशक (एसएमयू) प्रधान निदेशक (परीक्षा) प्रधान निदेशक (राजभाषा) सहायक सी एंड एजी (कार्मिक)	निदेशक (आईआर) निदेशक (कार्मिक), निदेशक (कार्य) सहायक सी एंड एजी (अराज), प्रधान सलाहकार (विधि)
2	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक एवं अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड) (केन्द्रीय वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विंग)	महानिदेशक (वाणि.-I) महानिदेशक (वाणि.-II)	
3	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट केन्द्रीय) (रिपोर्ट केन्द्रीय विंग)	आर्थिक सलाहकार प्रधान निदेशक (आरसी) प्रधान निदेशक (आरसी) सांख्यिकी सलाहकार	→
4	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (राजस्व लेखापरीक्षा एवं सूचना प्रणाली) (केन्द्रीय प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग) (राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग)	महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर) प्रधान निदेशक (एसआरए- II) प्रधान निदेशक(आईएस एवं आईटी) प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क) प्रधान निदेशक(एसआरए- I) प्रधान निदेशक (के.उ.शु.एवं सेवा कर)	→ निदेशक (प्रत्यक्ष कर) → निदेशक (उत्पाद शुल्क)
5	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (स्थानीय निकाय एईसी एवं अध्यक्ष गसब) (लेखा, स्थानीय निकाय एवं रेलवे विंग)	महानिदेशक (एलबी) महानिदेशक (ले. एवं हक व शि.) महानिदेशक (रेलवे) प्रधान निदेशक (रेलवे बोर्ड लेखापरीक्षा)	प्रधान निदेशक (एलबी) प्रधान निदेशक(लेखा), निदेशक (ले. एवं हक व शि.), प्रधान निदेशक (गसब)
6	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य-I) (रिपोर्ट राज्य विंग)	→ महानिदेशक (आरएस-I)	→
7	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य-III) (रिपोर्ट राज्य विंग)	→ महानिदेशक (आरएस-III)	
8	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक(वाणिज्यिक एवं एबी) (राज्य वाणिज्यिक एवं स्वायत्त निकाय विंग)	महानिदेशक (एबी) प्रधान निदेशक (सीएस-I) प्रधान निदेशक(सीएस- II)	→ प्रधान निदेशक (एबी)
9	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य- II) (रिपोर्ट राज्य विंग)	→ प्रधान निदेशक (आरएस- III)	
10	अपर उप नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य विंग-IV)	→ प्रधान निदेशक(आरएस-IV)	

टिप्पणी:- क्षेत्रीय कार्यालय गठन के प्रमुख डीजी/एजी/पीडी/एजी पदनाम के अधिकारी होते हैं और वे सम्बन्धित डीएआई/एडीएआई को रिपोर्ट करते हैं।

अनुबंध II

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय

1.	लेखापरीक्षा कार्यालय-संघ और संघ राज्य क्षेत्र
क.	सिविल
1.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय प्राप्ति, नई दिल्ली
2.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय, नई दिल्ली
3.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली
4.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली
5.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता शाखा कार्यालय : पोर्ट ब्लेयर स्थित
6.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय मुम्बई
	टिप्पणः संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी की लेखापरीक्षा क्रमशः महालेखकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, केरल और तमिलनाडु एवं पांडिचेरी के कार्यक्षेत्र में आती है। दादरा और नगर हवेली से संबंधित लेखापरीक्षा महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) गुजरात, राजकोट के कार्यक्षेत्र में आती है।
ख.	रक्षा
1.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली शाखा कार्यालयः इलाहाबाद, चेन्नई, दिल्ली कैंट, मेरठ कैंट, पटना और पुणे स्थित
2.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़ शाखा कार्यालय जम्मू स्थित
3.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना एवं नौ सेना, नई दिल्ली शाखा कार्यालय बैंगलोर, देहरादून और मुम्बई स्थित
4.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध फैक्ट्रियाँ कोलकाता

	शाखा कार्यालयः अवदी (चेन्नई), अम्बाझारी, कोलकाता, जबलपुर, कानपुर और किरकी (पुणे) स्थित
ग.	डाक एवं दूरसंचार
1.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, दिल्ली
	शाखा कार्यालयः अहमदाबाद, बंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद कपूरथला, लखनऊ, मुम्बई, चेन्नई, नागपुर, पटना, तिरूवनंतपुरम, भोपाल, कटक और जयुपर स्थित
घ.	रेलवे
1.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
2.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
	शाखा कार्यालयः विशाखापत्तनम-2, सम्बलपुर-2 और खुर्दा रोड स्थित
3.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासुपर
	शाखा कार्यालयः बिलासपुर, नागपुर और रायपुर स्थित
4.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण रेलवे चेन्नई
	शाखा कार्यालयः चेन्नई-7, इर्नाकुलम, तिरूचिरापल्ली-3, मदुरै, पेराम्बुर-2, पोडनुर और इग्मोर-3 स्थित
5.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
	शाखा कार्यालयः इज्जत नगर, लखनऊ और वाराणसी स्थित
6.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगाँव, गुवाहाटी
	शाखा कार्यालयः कटिहार अलिपुरद्वार-2 लम्डींग और तिनसुकिया स्थित
7.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर
8.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली
9.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
10.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

	शाखा कार्यालयः जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं अजमेर स्थित
11.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व रेलवे, कोलकाता
12.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
13.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे उत्पादन यूनिट एवं मैट्रो रेलवे, कोलकाता
	शाखा कार्यालयः चित्तरंजन (बर्दवान) और वाराणसी स्थित
14.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, मध्य रेलवे, मुम्बई
15.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम रेलवे, मुम्बई
	शाखा कार्यालयः अहमदाबाद स्थित
16.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली
17.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
ड.	वाणिज्यिक
1.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, बंगलोर
2.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई
3.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद
	शाखा कार्यालयः विशाखापत्तनम स्थित
4.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, कोलकाता
	शाखा कार्यालयः कोलकाता स्थित
5.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II कोलकाता
	शाखा कार्यालयः रांची स्थित
6.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, मुम्बई
7.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II,

	मुम्बई
	शाखा कार्यालयः मुम्बई (बांद्रा), बड़ौदा और देहरादून स्थित
8.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, नई दिल्ली
9.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, नई दिल्ली
	शाखा कार्यालयः नई दिल्ली और लखनऊ स्थित
10.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली
	शाखा कार्यालयः भोपाल स्थित
11.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-**IV,** नई दिल्ली
	शाखा कार्यालयः चंडीगढ, कोलकाता, चेन्नई मुम्बई और नई दिल्ली स्थित
12.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड रांची
	शाखा कार्यालयः दुर्गापुर और भिलाई स्थित
च.	विदेश स्थित
1.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, भारत लेखापरीक्षा कार्यालय, लंदन
2.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, भारतीय लेखे वाशिंगटन डीसी
3.	निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा, खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम
4.	निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा
II	लेखापरीक्षा कार्यालय-राज्य
1.	प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), आंध्र प्रदेश

	हैदराबाद
3.	महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
4.	महालेखाकार, अरूणाचल प्रदेश, इटानगर
5.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहाटी
6.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), असम, गुवाहाटी
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
8.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
9.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ, रायपुर
10.	महालेखाकार, गोवा
11.	प्रधान महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), गुजरात, अहमदाबाद शाखा कार्यालयः राजकोट स्थित
12.	महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), गुजरात, राजकोट शाखा कार्यालयः अहमदाबाद स्थित
13.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), गुजरात, अहमदाबाद
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा, चंडीगढ
15.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला
17.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर शाखा कार्यालयः जम्मू स्थित

18.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखंड, रांची
19.	प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) कर्नाटक, बंगलोर
20.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), कर्नाटक, बंगलोर
21.	महालेखाकार (निर्माण, वन एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), कर्नाटक, बंगलोर
22.	प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), केरल, तिरूवनंतपुरम शाखा कार्यालयः कोच्ची (इर्नाकुलम), कोट्टायम, कोज्हीकोडे और त्रिशूर स्थित
23.	महालेखाकार (निर्माण, वन एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), केरल, तिरूवनंतपुरम शाखा कार्यालयः कोची और त्रिशूर स्थित
24.	वरिष्ठ उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), केरल, तिरूवनंतपुरम
25.	प्रधान महालेखाकार(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश ग्वालियर
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश ग्वालियर
27.	महालेखाकार(निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीरक्षा), मध्य प्रदेश, भोपाल, शाखा कार्यालयः ग्वालियर स्थित
28.	प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा)- I , महाराष्ट्र, मुम्बई
29.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुम्बई
30.	महालेखाकार, (लेखापरीक्षा)- II, महाराष्ट्र, नागपूर
31.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपुर

32. महालेखाकार(वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुम्बई
33. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मणिपुर इम्फाल
34. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), मणिपुर, इम्फाल
35. प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), मेघालय, शिलांग
36. महालेखाकार, मिजोरम, आईजोल
37. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नागालैंड, कोहिमा
38. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नई दिल्ली, दिल्ली
39. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), ओडिशा, भुवनेश्वर
40. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), ओडिशा, भुवनेश्वर
41. महालेखाकार (वाणिज्यिक, निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), ओडिशा, भुवनेश्वर

    शाखा कार्यालयः पुरी स्थित
42. प्रधान महालेखाकार, (लेखापरीक्षा), पंजाब, चण्डीगढ
43. प्रधान महालेखाकार(सिविल लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर
44. वरिष्ठ उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर
45. महालेखाकार(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर
46. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सिक्किम, गंगटोक
47. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), तमिलनाडु व पुदुचेरि, चेन्नै

    शाखा कार्यालयः मदुरई एवं पुदुचेरि स्थित
48. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), तमिलनाडु, चेन्नै
49. प्रधान महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), तमिलनाडु, चेन्नै
50. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला

51.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला
52.	प्रधान महालेखाकार(सिविल लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहबाद
53.	वरिष्ठ उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
54.	महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ शाखा कार्यालयः इलाहाबाद स्थित
55.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून
56.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून
57.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
58.	महालेखाकार(प्राप्ति, निर्माण एवं स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
III	लेखा एवं हकदारी कार्यालय- राज्य
1.	प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.),आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2.	महालेखाकार (ले.व ह.), असम, गुवाहाटी
3.	महालेखाकार (ले.व ह.), बिहार, पटना
4.	महालेखाकार (ले.व ह.), छत्तीसगढ, रायपुर
5.	महालेखाकर (ले. व ह.), गुजरात, राजकोट शाखा कार्यालय, अहमदाबाद स्थित
6.	महालेखाकार,(ले.व ह.), हरियाणा, चण्डीगढ
7.	महालेखाकार (ले.व ह.), हिमाचल प्रदेश, शिमला
8.	वरिष्ठ उप महालेखाकार(ले.व ह.), जम्मू व कश्मीर,श्रीनगर शाखा कार्यालयः जम्मू स्थित
9.	महालेखाकार (ले.व ह.), झारखण्ड,रांची

10.	महालेखाकार (ले.व ह.), कर्नाटक, बंगलोर
11.	महालेखाकार (ले.व ह.), केरल, तिरूवनंतपुरम शाखा कार्यालयः इर्नाकुलम, कोट्टायम, कोज्हीकोडे व त्रिशूर
12.	महालेखाकार, (ले.व ह.)- I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर शाखा कार्यालयः भोपाल स्थित
13.	महालेखाकार (ले.व ह.) - II, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
14.	प्रधान महालेखकार (ले. व ह.)- I, महाराष्ट्र, मुम्बई
15.	प्रधान महालेखाकर (ले.व ह.)- II, महाराष्ट्र नागपुर
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले.व ह.), मणिपुर, इम्फाल
17.	महालेखाकार (ले.व ह.), मेघालय, शिलांग
18.	महालेखाकार (ले.व ह.), नागालैंड, कोहिमा
19.	प्रधान महालेखाकार, (ले.व ह.), ओडिशा, भुवनेश्वर शाखा कार्यालयः पुरी स्थित
20.	महालेखाकार (ले.व ह.), पंजाब, चण्डीगढ
21.	प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.), राजस्थान, जयपुर
22.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले.व ह.), सिक्किम, गंगटोक
23.	प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.), तमिलनाडु, चेन्नै
24.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले.व ह.), त्रिपुरा, अगरतला
25.	महालेखाकार (ले.व ह.) – I, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
26.	महालेखाकार (ले.व ह.)- II, उत्तर प्रदेश, लखनऊ शाखा कार्यालयः इलाहाबाद स्थित
27.	महालेखाकार (ले.व ह.), उत्तराखण्ड, देहरादून

28.	प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता शाखा कार्यालयः कोलाकाता स्थित
IV	**प्रशिक्षण संस्थान**
1.	राष्ट्रीय अकादमी, लेखापरीक्षा एवं लेखा, शिमला
2.	अंतराष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत् विकास केंद्र (आईसीईडी), जयपुर
3.	अतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं लेखापरीक्षा केंद्र, नोएडा
4.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद
5.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै
6.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
7.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू
8.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता
9.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई
10.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर
11.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, रांची
12.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, शिलांग
13.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलोर
14.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद
15.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली